खण्ड-3 आयोजनेतर

उत्तर प्रदेश शासन

व्यय की नई मदें, जिन्हें 1987-88 के आय-व्ययक में सम्मिलित किया गया है

NIEPA DC
D04355

-542
352.1252
UTT-B

542
352.1252
UTT-B

Sub. National Systems **Unit,**
National Institute of Education**al**
Planning and Administration
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi-**110016**
DOC. No......D-4355
Date......15/7/88

प्रास्तावनिक टिप्पणी

इस खंड में आय-व्ययक साहित्य के विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत सम्मिलित व्यय की नयी मदों (आयोजनेतर) की सूचना दी गयी है।

सूची के बाद इन मदों के बारे में व्याख्यात्मक टिप्पणियां दी गई हैं जिनसे आय-व्ययक साहित्य के अध्ययन म सुविधा होगी।

इस खंड में कुछ ऐसी योजनायें भी सम्मिलित हैं जिनकी विस्तृत जांच आय-व्ययक को अंतिम रूप दिय जाने से पूर्व नहीं की जा सकी। ऐसी योजनाओं की स्वीकृति जारी होने के पूर्व विस्तृत जांच कर ली जायेगी और यदि आवश्यक हुआ तो पदों की संख्या एवं वेतनक्रमों इत्यादि में यथोचित संशोधन कर दिया जायगा।

इस खंड के आरम्भ में आयोजनेतर व्यय की नई मदों की अनुदानवार सूची दी गई है तथा उसके बाद संबंधित विभागों की व्यय की नई मदों की सूची के साथ-साथ उनसे संबंधित प्रस्तावों का संक्षिप्त विवरण भी अलग-अलग दिया गया है।

वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में व्यय की नई मदों द्वारा सम्मिलित प्राविधान का संक्षिप्त विवरण

क––राजस्व लेखा

			रु0
कुल व्यय		आयोजनेतर	18,06,67
		आयोजनागत	43,90,48
		योग 'क'	61,97,15

ख–– पूंजी लेखा–––

कुल व्यय		आयोजनेतर	1,19,56
		आयोजनागत	1,12,07,91
		योग 'ख'	1,13,27,47
		कुल योग	1,75,24,62

वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें (आयोजनेतर)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	1987–88 में व्यय (हजार रुपयों में)				पृष्ठ संख्या
		राजस्व व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग	
			पूंजीगत	ऋण		
1	2	3	4	5	6	7
1	आबकारी विभाग	1,67	.	..	1,67	1न से 4न
2	आवास एवं नगर विकास विभाग	3,66	..	..	3.66	5न से 8 न
3	खाद्य तथा रसद विभाग	7,48	..	..	7,48	9न से 12न
4	गृह (कारागार) विभाग	88,94	..	..	88,94	13 न 18न
5	गृह (पुलिस) विभाग	5,80,13	47,16	..	6,27,29	19न से 30न
6	चिकित्सा विभाग	1,40,13	..	..	1,40,13	31न से 3 6न
7	नागरिक उड्डयन विभाग	43,98	..	..	43,98	3न से 40न
8	न्याय विभाग	75,87	5,97	..	81,84	41न से 5 0न
9	प्राविधिक शिक्षा विभाग	64,00	1,36	..	65,36	51न से 54न
10	राज्य सम्पत्ति विभाग	34,24	..	..	34,24	55न से 58न
11	राजस्व विभाग	65,00	..	..	65,00	59न से 62न
12	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	18,67	6,70	..	25,37	63 न से 68न
13	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत, आदि)	10,71	..	..	10,71	69न से 72न
14	वित्त विभाग (बीमा)	1,16	..	..	1,16	73न से 76न
15	विधान परिषद सचिवालय	25	..	..	25	77न से 8 0न
16	विधान सभा सचिवालय	1,9 6	..	..	1,96	81न से 84न
17	श्रम विभाग	..	4,94	..	4,94	85न से 68न
18	सार्वजनिक निर्माण विभाग	1,35,32	53,43	..	1,88,75	89न से 92न
19	संस्थागत वित्त (बिक्री कर) विभाग	18,51	..	..	18,51	93न से 96न
20	संस्थागत वित्त (मनोरंजन कर) विभाग	2,44	..	..	2,44	97न से 100न
21	संस्थागत वित्त (स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन) विभाग	6,36	..	..	6,36	101न से 104न
22	सचिवालय प्रशासन विभाग	3,00	..	..	3,00	105न से 108न
23	सांस्कृतिक कार्य विभाग	3,07	..	..	3,07	109नसे 112 न
24	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग	5,00,12	.	.	5,00,12	113न से 115न
	योग	18,06,67	1,19,56		19,26,23	

संक्षिप्त विवरण पत्र जिसमें 1987-88 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनेतर) के योग अनुदानों तथा मुख्य लेखा शीर्षकों के अनुसार दिखाये गये हैं

अनुदान/ क्रम-संख्या	लेखा शीर्षक	धनराशि (हजार रुपयों)	
		आवर्तक	अनावर्तक
1	2039—राज्य उत्पादन शुल्क	7	1,60
2	2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें	..	3,66
22	3456—नागरिक पूर्ति	88	6,60
26	2056—जेलें	77,39	11,55
27	2055—पुलिस	2,27,28	2,33,65
	2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें	80,37	31,72
	4215—जल प्रदाय और सफाई पर पूंजी परिव्यय	..	43,84
28	2014—न्याय प्रशासन	..	5,00
32	2210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	1,90	..
33	2210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	75	..
34	2210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	55	..
35	2210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	1,36,93	..
38	2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें	34	43,64
42	2014—न्याय प्रशासन	5,36	69,63
	2052—सचिवालय सामान्य सेवायें	..	63
46	2203—तकनीकी शिक्षा	64,00	..
49	2053—जिला प्रशासन	7,35	45,65
51	2029—भू-राजस्व	12,00	..
56	2054—राजकोष और लेखा प्रशासन	7,15	11,52
	4059—सहकारी निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय	..	6,70
58	2052—सचिवालय-सामान्य सेवायें	1,00	35
	2054—राजकोष और लेखा प्रशासन	3,63	4,53
	2425—सहकारिता	24	96
59	2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	11	1,05
60	2011—संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल	..	25
61	2011—संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल	..	1,96
70	4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	..	4,94
71	2059—लोक निर्माण	..	80,32
72	2059—लोक निर्माण	..	2,11
	4059—सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	..	9,29
73	2246—आवास	..	25
74	4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	..	1,36
75	3054—सड़कें और पुल	..	55,00
	5054—सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय	..	53,43
79	2040—बिक्री कर	13,49	5,02
80	2045—वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	2,34	10
81	2030—स्टाम्प और पंजीकरण	1,41	4,95
82	2052—सचिवालय सामान्य सेवायें	20,00	17,24
85	2205—कला और संस्कृति	1,15	1,92
91	2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	12	5,00,00
	कुल योग ..	6,65,81	12,60,42
		19,26,23	

वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनेतर) की अनुदानवार सूची

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	वर्ष 1987-88 में व्यय की धनराशि			पृष्ठ संख्या
			आवर्तक	अनावर्तक		
			(हजार रुपयों में)			
1	2039---राज्य उत्पाद शुल्क—	(1) आबकारी आयुक्त के मुख्यालय पर टेलेक्स मशीन की स्थापना।	7	10	..	3 न
		(2) आटोमैटिक फोटो कापिंग मशीन का क्रय	..	1,50	..	3 न
		अनुदान संख्या 1 का योग	7	1,60		
2	2070--अन्य प्रशासनिक सेवायें---—	प्रदेश के विनियमित क्षेत्रों के कार्यालय हेतु हिन्दी टंकण मशीन की व्यवस्था	..	8,66	..	7 न
		अनुदान संख्या 2 का योग	..	3,66		
22	3456---नागरिक पूर्ति	जिला पूर्ति अधिकारियों के प्रयोगार्थ एक-एक डीजल चालित जीपों का क्रय तथा चालक के पदों का सृजन।	88	6,60	..	11 न
		अनुदान संख्या 22 का योग	88	6,60		
26	2056--जेलें---	(1) प्रदेश की कारागारों में उपलब्ध 410 बोर की मस्केट्स के स्थान पर 303 बोर की रायफ़ल्स की व्यवस्था	..	3,28	..	15 न
		(2) कारागार महानिरीक्षक, उ0प्र0 के कार्यालय में स्थापित 'वन पिण्डों सेल' का विस्तार और पुनर्गठन	1,40	..	..	15 न
		(3) प्रदेश के कारागारों के उद्योगों आदि में लगे बन्दियों को निर्धारित अवधि से अधिक श्रम करने के लिये प्रोत्साहन पारिश्रमिक की धनराशि में वृद्धि।	75,00	..	..	16 न
		(4) कारागार प्रशासन का सुदृढ़ीकरण	99	3,27	..	16-17 न
		अनुदान संख्या 26 का योग	77,39	11,55		
27	2055---पुलिस---	(1) अभिसूचना विभाग के लिये 2 पेपर शेडर मशीनों का क्रय।	..	32	..	21 न

वर्ष 1987–88 के आय-व्यय में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनेतर) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	वर्ष 1987–88 में व्यय की धनराशि (हजार रुपयों में) आवर्तक	अनावर्तक		पृष्ठ संख्या
27	2055–पुलिस–– (समाप्त)	(2) पुलिस थानों, चौकियों, कन्ट्रोल रूम अग्निशमन केन्द्रों एवं पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों में टेलीफोन की व्यवस्था	1,37	7,55	..	21 ना
		(3) राज्य पुलिस रेडियो संगठन का पुनर्गठन एवं आधुनिकीकरण	27,83	1,47,45	..	23–24 ना
		(4) पुलिस लाइन मिर्जापुर में विद्युत आपूर्ति हेतु हाई पावर टेन्शन लाइन तथा ट्रांसफार्मर की व्यवस्था	..	89	..	25 ना
		(4) जी० आर० पी० चौकियों पर टेलीफोन की स्थापना	18	1,50	..	25 ना
		(5) जनपद गाजियाबाद में पुलिस अस्पताल की स्थापना ।	2,55	18	..	25–26 नव
		(6) अष्टम वित्त आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन––प्रदेश में 25 नये थानों की तृतीय चरण में स्थापना	45,94	5,96	..	26 ना
		(7) यातायात निदेशालय एवं प्रदेश के सात महत्वपूर्ण नगरों में यातायात पुलिस के नियतन में वृद्धि	84,21	14,80	..	27 ना
		(8) पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष अपराध, उ० प्र० के लिये वाहन की व्यवस्था	20	1,00	..	29 ना
		(9) भारत–नेपाल सीमा पर नये थानों की स्थापना	65,00	54,00	..	30 ना
		लेखा शीर्षक '2055' का योग	2,27,28	2,33,65		
2070	–अन्य प्रशासनिक सेवायें	(1) पुलिस थानों, चौकियों, कन्ट्रोल रूम, अग्निशमन केन्द्रों एवं पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों में टेलीफोन की व्यवस्था ।	13	75	..	21 ना
		(2) प्रदेश में 19 स्थानों में उ० प्र० अग्निशमन सेवा की स्थापना	80,24	30,97	..	22–23 ना
		लेखा शीर्षक '2070' का योग	80,37	31,72		

वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनेतर) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	वर्ष 1987–88 में व्यय की धनराशि		पृष्ठ संख्या
			आवर्तक	अनावर्तक	
			(हजार रुपयों में)		
27	4215--जल प्रदाय और सफ़ाई पर पूंजी परिव्यय–	स्पेशल पुलिस फ़ोर्स, मुरादाबाद, पुलिस लाइन, मिर्ज़ापुर, पुलिस लाइन, बाराबंकी, पुलिस लाइन, मुजफ्फरनगर, पुलिस लाइन, बस्ती, 31वीं वाहिनी पी0 ए 0 सी0 रुद्रपुर तथा 11वीं वाहिनी पी0 ए 0सी0 सीतापुर में जल सम्पूर्ति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण	..	43,84	.. 24 न
		लेखा शीर्षक '4215' का योग	..	43,84	
		अनुदान संख्या 27 का योग	3,07 65	3,09,21	
28	2014--न्याय प्रशासन	अभियोजन अधिकारियों के लिये विधि पुस्तकों का क्रय	..	5,00	.. 21 न
		अनुदान संख्या 28 का योग	..	5,00	
32	2210--चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य–	स्वास्थ्य मंत्री जी के दानकोष में अन्य रोगियों तथा क्षय रोगियों की चिकित्सा सहायता हेतु प्राविधान में वृद्धि ।	1,90	..	.. 33 न
		अनुदान संख्या 32 का योग	1 90	..	
33	2210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य,--	गैर सरकारी आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों और औषधालयों को अनुदान	75	..	.. 33 न
		अनुदान संख्या 33 का योग	75	..	
34	2210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	(1) गैर सरकारी होम्योपैथिक चिकित्सालयों/चिकित्सकों को अनुदान	25	..	.. 34 न
		(2) राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के सम्बन्ध में निरीक्षण शुल्क का भुगतान	30	..	.. 34 न
		अनुदान संख्या 34 का योग	55		
35	2210–चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों एवं चिकित्सालयों के जूनियर डाक्टर्स/ इन्टर्नस की परिलब्धियों में अन्तरिम वृद्धि	1,36,93	..	.. 34–35 न
		अनुदान संख्या 35 का का योग	1,36,93	..	
38	2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें–	(1) राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय के लेखा की आन्तरिक सम्परीक्षा हेतु सम्परीक्षकों के पदों का सृजन	34	..	.. 39 न
		(2) राजकीय हेलीकाप्टर हेतु, आई0 एफ0 आर0 सिस्टम का क्रय तथा अधिष्ठापन (इन्स्टालेशन) ।	..	43,64	.. 39 न
		अनुदान संख्या 38 का योग	34	4364	

वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनेतर) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	वर्ष 1987–88 में व्यय की धनराशि			पृष्ठ संख्या
			आवर्तक	अनावर्तक		
			(हजार रुपयों में)			
42	2014—न्याय प्रशासन	(1) देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल एवं अल्मोड़ा के चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेटों एवं अन्य न्यायिक अधिकारियों के प्रयोगार्थ 5 पेट्रोल जीप गाड़ियों का क्रय।	1,06	4,85	..	43
		(2) तहसील मुख्यालयों पर स्थित न्यायालयों को कार्यालय एवं आवासीय टेलीफोनों की सुविधा उपलब्ध कराया जाना।	..	6,34	..	43न
		(3) प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों/तहसील मुख्यालयों पर स्थित न्यायालयों को वाटर कूलर (जलशीतक) उपलब्ध कराया जाना।	..	5,94	..	43न
		(4) प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों के नजारत और जिला जज के परिसर के बाह्य स्थित न्यायालयों के लिये एक-एक आयरन सेफ उपलब्ध कराया जाना।	..	4,08	..	44न
		(5) प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों के लिये स्टील अलमारियों एवं विद्युत चालित डुप्लीकेटिंग मशीनों का क्रय	..	9,14	..	45न
		(6) पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के अधीन जनपद अलीगढ़ तथा गोरखपुर में एक-एक पारिवारिक न्यायालय की स्थापना	4,30	1,20	..	45—46न
		(7) महाधिवक्ता उ0प्र0 इलाहाबाद के कार्यालय के लिये एक वाटर कूलर तथा एक फ़ोटो कापिंग मशीन का क्रय।	..	1,07	..	47न
		(8) महाधिवक्ता उ0प्र0, इलाहाबाद के कार्यालय में इन्टर-काम कनेक्सन की व्यवस्था।	..	1,53	..	47—48न
		(9) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा उसकी खण्डपीठ, लखनऊ में माननीय न्यायाधीशों के कक्षों में तथा उच्च न्यायालय के अनुभागों में इन्टरकाम कनेक्शन की व्यवस्था।	..	10,24	..	48न

वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनेतर) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	वर्ष 1987-88 में व्यय की धनराशि		पृष्ठ संख्या
			आवर्तक	अनावर्तक	
			(हजार रुपयों में)		
		(10) न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश के लिये उपकरणों का क्रय	..	1,38	48–49 न
		(11) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद और खण्डपीठ, लखनऊ के प्रयोगार्थ साज-सज्जा का क्रय।	..	2,14	49 न
		(12) इलाहाबाद उच्च न्यायालय को इन्डिपेन्डेन्ट फीडर लाइन से जोड़ा जाना।	..	21,72	50 न
		लेखा शीर्षक "2014" का योग	5,36	69,63	
42	2052––सचिवालय सामान्य सेवायें––	विधि कोष्ठक, नई दिल्ली के लिये एक फोटो कापियर मशीन का क्रय	..	63	50 न
		लेखा शीर्षक "2052" का योग	..	63	
		अनुदान संख्या 42 का योग	5,36	70,26	
46	2203–तकनीकी शिक्षा––	राजकीय एवं सहायता प्राप्त पालीटेकनिक के छात्रावासों में अनुरक्षण व्यय में वृद्धि	64,00	..	53 न
		अनुदान संख्या 46 का योग	64,00	..	
49	2053––जिला प्रशासन	(1) 31 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के लिये डीजल जीपों का क्रय तथा चालकों (ड्राइवरों) के पदों का सृजन	7,35	35,65	61 न
		(2) प्रदेश की तहसीलों के पुराने उपस्कर (फर्नीचर) के स्थान पर नये उपस्कर (फर्नीचर) की व्यवस्था	..	10,00	61 न
		अनुदान संख्या 49 का योग	7,35	45,65	
51	2029–भू-राजस्व–	लेखपाल स्कूलों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अप्रशिक्षित लेखपालों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था	12,00	..	62 न
		अनुदान संख्या 51 का योग	12,00	..	

वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें (आयोजनेतर) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	वर्ष 1987–88 में व्यय की धनराशि			पृष्ठ संख्या
			आवर्तक	अनावर्तक		
			(हजार रुपयों में)			
56	2054—राजकोष और लेखा प्रशासन—	(1) वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, उ0 प्र0, लखनऊ हेतु मेटाडोर कार का क्रय, एवं इण्टरकाम की व्यवस्था	11	3,07	..	615 न
		(2) विभागीय लेखा निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ में कतिपय अतिरिक्त पदों का सृजन ।	3,23	3,97	..	616 न
		(3) प्रदेश के कतिपय कोषागारों में इण्टरकाम, कैश वाहन तथा कतिपय कोषागारों के वरिष्ठ कोषाधिकारियों को आवासीय टेलीफोन की सुविधा ।	42,	3,32	..	617 न
		(4) निदेशक, कोषागार के अधीन चार क्षेत्रीय कार्यालयों (वाराणसी, मेरठ, बरेली और देहरादून) की स्थापना	3,39,	1,16,	..	617–618 न
		लेखा शीर्षक 2054 का योग ..	7,15	11,52	..	
	4059—सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय—	दुद्धी जिला मिर्जापुर उप-कोषागार के लिये नवीन भवन का निर्माण ।	..	6,70	..	615 न
		अनुदान संख्या 56 का योग ..	7,15	18,22	..	
58	2052—सचिवालय, सामान्य सेवायें—	(1) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेन्स एण्ड पालिसी, नई दिल्ली द्वारा राज्य सरकार के व्यय का अध्ययन	1,00	..	..	72 न
		(2) पेंशन कोष्ठक हेतु एक इलेक्ट्रानिक टाइप-राइटर की व्यवस्था		35		72 न
		लेखा शीर्षक 2052 का योग ..	1,00	35	..	

वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनेतर) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	वर्ष 1987–88 में व्यय की धनराशि			पृष्ठ संख्या
			आवर्तक	अनावर्तक		
			(हजार रुपयों में)			
	2054--राजकीय आर्थिक और लेखा प्रशासन	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत संभागीय कार्यालयों हेतु डीजल जीप तथा कतिपय अन्य संस्थाओं की लेखा परीक्षा हेतु अतिरिक्त कर्मचारिवर्ग की व्यवस्था।	3,63	4,53	..	71–72 न
		लेखा शीर्षक 2054 का योग	3,63	4,53		
	2425--सहकारिता–	सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन उ० प्र० के अधीनस्थ कतिपय जनपदों के जिला लेखा-परीक्षा अधिकारी के कार्यालयों में टेलीफोन की व्यवस्था।	24	96	..	71 न
		लेखा शीर्षक 2425 का योग	24	96	..	
		अनुदान संख्या 58 का योग	4,87	5,84		
59	2235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण–	राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय के लिये एक मारुति (जिप्सी) जीप का क्रय।	11	1,05	..	75 न
		अनुदान संख्या 59 का योग	11	1,05		
60	2011--संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल–	सांविधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान को शासन द्वारा दी जाने वाली अनुदान की धनराशि में वृद्धि।	..	25	..	79 न
		अनुदान संख्या 60 का योग	..	25		
61	2011--संसद/राज्य संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल–	(1) विधान सभा सचिवालय के लेखा अनुभाग कक्ष संख्या 4 में तीन कैश काउन्टर का निर्माण तथा स्टील रैक्स की व्यवस्था।	..	77	..	83 न
		(2) विधान सभा पुस्तकालय के वर्तमान हाल को एक आधुनिक रीडिंग रूम में परिवर्तित किया जाना एवं विधान सभा पुस्तकालय के समिति कक्ष का सुसज्जीकरण।	..	1,19		83 न
		अनुदान संख्या 61 का योग	..	1,96		

वर्ष 1987–88 के आय व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनेतर) की अनुदानवार सूची (क्रमशः)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	वर्ष 1987–88 में व्यय की धनराशि आवर्तक (हजार रुपयों में)	अनावर्तक		पृष्ठ संख्या
70	4250–अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मथुरा के छात्रावास के भवन की मरम्मत।	..	4,94	..	877 न
		अनुदान संख्या 70 का योग	..	4,94		
71	2059 लोक निर्माण	(1) निष्प्रयोज्य पेट्रोल जीपों के प्रतिस्थापन हेतु नयी डीजल जीपों का क्रय।	..	68,00	..	912 न
		(2) सार्वजनिक निर्माण की निष्प्रयोज्य पुरानी कारों के प्रतिस्थापन हेतु नई अम्बेसडर कारों का क्रय।	..	12,32	..	912 न
		अनुदान सं० 71 का योग	..	80,32		
72	2059–लोक निर्माण–	पुलिस विभाग के भवनों का पुनर्विद्युतीकरण, विद्युत्-आपूर्ति तथा मार्ग प्रकाश की व्यवस्था	..	2,11	..	28–29 न
		लेखा शीर्षक 2059 का योग		2,11		
	4059-सरकारी निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय-	(1) जनपद लखनऊ, कानपुर, जालौन तथा बिजनौर के अधीनस्थ न्यायालय कक्षों का पुनर्विद्युतीकरण।	..	5,97	..	47 न
		(2) पुलिस लाइन ललितपुर तथा पुलिस लाइन, मिर्जापुर में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था।	..	3,32	..	28 न
		लेखा शीर्षक 4059 का योग	..	9,29		
		अनुदान सं० 72 का योग	..	11,40	..	..
73	2216 आवास —	जिला जजी बिजनौर के पीठासीन अधिकारियो के आवासिक भवनों का पुनर्विद्युतीकरण।	..	25	..	36 न
		अनुदान सं० 73 का योग	..	25		
74	4202–शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय--	प्राविधिक शिक्षा परिषद् उ० प्र० लखनऊ के कार्यालय-भवनों के भूतल के नये सिरे से वायरिंग की व्यवस्था।	..	1,36	..	53 न
		अनुदान संख्या 74 का योग	..	1,36		

वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनेतर) की अनुदानवार सूची (क्रमश:)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	वर्ष 1987-88 में व्यय की धनराशि			पृष्ठ संख्या
			आवर्तक	अनावर्तक		
			(हजार रुपयों में)			
75	3054--सड़कें और पुल--	जनपद देवरिया में देवरिया-गोरखपुर मार्ग (राज्य मार्ग-1) पर स्थित वर्तमान रेलवे समपार संख्या 130-ए / 3-टी के स्थान पर उपरिगामी सेतु का निर्माण	..	55,00	..	91 न
		लेखा शीर्षक '3054' का योग	..	55,00		
	5054--सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय-	सार्वजनिक निर्माण विभाग के 17 पुराने रोड रोलरों के प्रतिस्थापन हेतु नये रोड रोलरों का क्रय।	..	53,43	..	91-92 न
		लेखा शीर्षक '5054' का योग	..	53,43		
		अनुदान संख्या 75 का योग	..	1,08,43		
79	2040-बिक्री कर-	बिक्रीकर की वसूली योजना के विस्तार हेतु सात नई इकाइयों का सृजन तथा कर्मचारिवर्ग की व्यवस्था।	13,49	5,02,	..	95-96 न
		अनुदान सख्या 79 का योग	13,49	5,02		
80	2045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क-	(1) मनोरंजन कर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सराहनीय कार्यों के सम्पादनार्थ प्रोत्साहन स्वरूप नकद पुरस्कार दिये जाने की योजना।	50	..	..	99 न
		(2) मनोरंजन कर विभाग के लिये सात जिला मनोरंजन कर अधिकारियों के पदों का सृजन।	1,84	10	..	99 न
		अनुदान संख्या 80 का योग	2,34	10		

वर्ष 1987–88 के आय व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें (आयोजनेतर) की अनुदानवार सूची––(समाप्त)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मद का नाम	वर्ष 1987–88 में व्यय की धनराशि		पृष्ठ संख्या
			आवर्तक	अनावर्तक	
			(हजार रुपयों में)		
81	2030–स्टाम्प और पंजीकरण–	(1) उत्तर प्रदेश के कतिपय जिलों के उप निबंधक कार्यालयों हेतु लोहे की आलमारी/ पंखे तथा साज सज्जा आदि का क्रय ।	..	4,87	103न
		(2) महानिरीक्षक निबन्धन के अन्तर्गत तहसील स्तर पर उप निबन्धक के नये कार्यालयों की स्थापना एवं पदों का सृजन	1,41	8	103–104न
		अनुदान संख्या 81 का योग	1,41	4,95	
82	2052–सचिवालय–सामान्य सेवायें–	(1) उत्तर प्रदेश निवास एवं उत्तर प्रदेश भवन, दिल्ली में वर्तमान मैनुअल टेलीफ़ोन एक्सचेंज के स्थान पर इलेक्ट्रानिक टेलीफ़ोन एक्सचेंज की स्थापना ।	..	14,24	57न
		(2) सचिवालय की विभिन्न शाखाओं में इण्टरकाम की व्यवस्था	..	3,00	107न
		(3) राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न इकाइयों में अतिरिक्त पदों की व्यवस्था ।	20,00	..	57–58न
		अनुदान सख्या 82 का योग	20,00	17,24	
85	2205–कला और संस्कृति–	(1) सांस्कृतिक दल के गठन हेतु उ0 प्र0 संगीत नाटक अकादमी को अनुदान ।	50	..	111न
		(2) कथक केन्द्र लखनऊ के विकास के लिए उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी को अनुदान	65	..	111न
		(3) उ0 प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को अनुदान	..	1,92	111न
		अनुदान सं0 85 का योग	1,15	1,92	
91	2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण––	(1) राज्य समाज कल्याण बोर्ड हेतु अतिरिक्त पदों का सृजन	12	..	115न
		(2) निराश्रितों के कल्याणार्थ नई योजना	..	5,00,00	115न
		अनुदान संख्या 91 का योग	12	5,00,00	

आबकारी विभाग

वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में सम्मिलित की जाने वाली व्यय की नई मदें (आयोजनतर)

क्र० सं०	योजना का नाम	1987–88 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1987–88 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आबकारी विभाग के लिए मोदी जीराक्स फोटो कापीइंग मशीन का क्रय	1,50	..	..	1,50	2039–राज्य उत्पाद शुल्क	3 न
2	आबकारी आयुक्त के मुख्यालय पर टेलेक्स मशीन की स्थापना	17	..	..	17	तदैव	3 न
	योग ..	1,67	..	..	1,67	..	

अनुदान संख्या–1

आबकारी विभाग

आबकारी विभाग के लिए मोदी जीराक्स फोटो कापीइंग मशीन का क्रय

आबकारी विभाग में फोटो कापीइंग मशीन की व्यवस्था न होने के कारण विभाग के दैनिक कार्य संचालन में काफी असुविधा हो रही है । इस समस्या के निराकरण हेतु एक आटोमेटिक फोटो कापीइंग मशीन के क्रय करने का प्रस्ताव है । मोदी जीराक्सफोटो कापीय र 1045 का रेट कान्ट्रेक्ट है । इस रेट कान्ट्रेक्ट के अनुसार उक्त फोटो कापीइंग मशीन को क्रय करने के लिये 1,50,000 रुपये की आवश्यकता होगी तदनुसार वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में 1,50,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है ।

2–व्यय का विभाजन–

साज-सज्जा, मशीनें, भंडार आदि के स्थूल ब्योरे–

मद	धनराशि
	(रू0)
मोदी जीराक्स फोटो कापीइंग मशीन 1045	1,50,000 ..

3–आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:–

(हजार रुपयों में)

2039 – राज्य उत्पाद शुल्क– आयोजनेतर
001–निदेशन और प्रशासन–
01–अधीक्षण–
06 –कार्यालय व्यय 1,50

आबकारी आयुक्त के मुख्यालय पर टेलेक्स मशीन की स्थापना

आबकारी आयुक्त के मुख्यालय पर टेलेक्स की सुविधा उपलब्ध कराकर क्षेत्रीय तथा अन्य कार्यालयों से अपेक्षित सूचनायें तत्काल एवं सही रूप में प्राप्त करके विभाग के राजस्व अर्जन में तीव्रता लायी जा सकती है तथा टेलीफोन के प्रयोग एवं उस पर होने वाले व्यय में आवश्यकतानुसार मितव्ययिता की जा सकती है । अत: आबकारी आयुक्त के मुख्यालय पर एक टेलेक्स मशीन की स्थापना करने का प्रस्ताव है । इस कार्य हेतु कुल 17,325 रुपये (10,325 रु0 अनावर्तक एवं 7,000 रु0 आवर्तक) की आवश्यकता होगी । तद्नुसार वर्ष 1987–88 के आय- व्ययक में 17,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है ।

2––व्यय का विभाजन––

साज-सज्जा, मशीनें, भण्डार आदि के स्थूल ब्योरे––

मद	धनराशि
	रु0
टेलेक्स मशीन की स्थापना	10,325

3––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन––

(हजार रुपयों में)

2039––राज्य उत्पाद शुल्क– आयोजनेतर––
001–निदेशन और प्रशासन–
01–अधीक्षण––
20––मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र 17

आवास एवं नगर विकास विभाग

वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में सम्मिलित की जाने वाला व्यय की नई मदें (आयोजनेतर)

क्र0सं0	योजना का नाम	1987–88 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1987–88 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पुंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1—प्रदेश के विनियमित क्षेत्रों के कार्यालय हेतु हिन्दी टंकण मशीनें की व्यवस्था		3,66	..	..	3,66	2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें	7 न

अनुदान संख्या–2

आवास एवं नगर विकास विभाग

प्रदेश के विनियमित क्षेत्रों के कार्यालयों हेतु हिन्दी टंकण मशीन की व्यवस्था––

विनियमित क्षेत्रों के कार्यालय में टंकण का कार्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अवैध निर्माण कर्त्ता के विरुद्ध समय के अन्तरंत उसे नोटिस भेजना, महत्वपूर्ण पत्रों का उत्तर देना, विनियमित क्षेत्र के अधिष्ठान पर होने वाले व्यय से संबंधित बजट स्बंधी कार्य जिसके अन्तर्गत कर्मचारियों का बिल बनाना, व्यय का मासिक व्यय विवरण भेजना आदि सम्मिलित है साथ ही मास्टर प्लान त्था अवैध निर्माण के विरुद्ध दायर रिट याचिकाओं पर प्रस्तावार आख्या तैयार करना आदि अनेक महत्वपूर्ण कार्य जिन्हें बिना टंकण मशीन के किया जाना संभव नहीं है । शासन द्वारा इन विनियमित क्षेत्रों को अभी तक टंकण मशीन उपलब्ध नहीं करायी गयी है । टंकण मशीन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश के 61 विनियमित क्षेत्रों के प्रत्येक कार्यालय को एक एक हिन्दी टंकण मशीन दिये जाने हेतु 3,66,000 रुपये की अनुमानित लागत पर 61 टंकण मशीनें क्रय किये जाने का प्रस्ताव है । तदनुसा वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में 3,66,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है ।

2––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन––

(हजार रुपयोंमें)

2070––अन्य प्रशासनिक सेवायें–आयोजनेतर–

800––अन्य व्यय–

01––विहित प्राधिकारियों का अधिष्ठान––

06––कार्यालय व्यय 3,66

खाद्य तथा रसद विभाग

वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में सम्मिलित की गई व्यय की नई मदें (आयोजनेतर)

(हजार रुपयों में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	1987–88 में व्यय			लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1987–88 के आय–व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय	योग		
			पूंजीगत ऋण			
1	2	3	4 5	6	7	8
1	—जिला पूर्ति अधिकारियों के प्रयोजनार्थ डीजल चालित जीपों का क्रय तथा चालक के पदों का सृजन	7,48	.. ..	7 48	3456—नागरिक पूर्ति	11 न

जिला पूर्ति अधिकारियों के प्रयोगार्थ डीजल चालित जीपों का क्रय तथा चालकों के 6 पदों का सृजन

सुदूर ग्रामीण अंचलों एवं नगरीय क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण, जमाखोरी, चोरबाजारी व तस्करी आदि पर प्रभावशाली नियंत्रण रखने तथा आर्थिक अपराधों की रोकथाम के लिये प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक जिला पूर्ति अधिकारी का पद सृजित है। अब तक प्रदेश के 35 जिला पूर्ति अधिकारियों को वाहन सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है। चूंकि शेष जिला पूर्ति अधिकारियों को वाहन के अभाव में उन्हें आवंटित कार्य सम्पादित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 1987-88 में 6 जिला पूर्ति अधिकारियों के प्रयोगार्थ एक-एक डीजल चालित जीप क्रय किये जाने तथा चालकों के 6 पदों के सृजन का प्रस्ताव है

वर्ष 1987-88 में इस योजना पर कुल 7,48,000 रु0 (88,000 रु0 आवर्तक तथा 6,60,000 रु0 अनावर्तक) व्यय अनुशान्ति है। तदनुसार आय-व्ययक में 7,48,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय एवं पदों की स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—व्यय का विभाजन

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग:—

क्र0 सं0	पद	वेतन मान	पदों की संख्या
		रु0	
1	चालक	330-495	6

(ख) साज सज्जा/भंडार/मशीन/गाड़ियों आदि के स्थूल ब्योरे:—

मद	धनराशि
	रु0
6—जीप गाड़ियां	6,60,000

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:—

(हजार रूपयों में)

3456—नागरिक पूर्ति—अयोजनेतर—

001—निदेशन और प्रशासन—

01—सिविल पूर्ति योजनाओं का अधिष्ठान—

01—वेतन	22
03—महंगाई भत्ता	18
04—यात्रा व्यय	02
05—अन्य भत्ते	6
08—मोटर गाड़ियों की खरीद	6,60
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद आदि	36
32—अन्तरिम सहायता	4
योग	7,48

गृह (कारागार) विभाग

वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें (अयोजनेतर)

(हजार रुपयों में)

क्र० सं०	योजना का नाम	1987–88 में व्यय				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1987–88 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	—प्रदेश के कारागारों में उपलब्ध 410 बोर की मस्केट्स के स्थान पर 303 बोर की रायफल की व्यवस्था।	8,28	—	—	8,28	2056–जेलें	15 न
	—कारागार महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश के कार्यालय में स्थापित वन विण्डो सेल का विस्तार व पुनर्गठन।	1,40	—	—	1,40	तदेव	15 न
	—प्रदेश के कारागारों में उद्योगों आदि में लगे बंदियों को निर्धारित अवधि से अधिक श्रम करने के लिये प्रोत्साहन पारिश्रमिक की धनराशि में वृद्धि	75 00	—	—	75,00	तदेव	16 न
	—कारागार प्रशासन का सुदृढ़ीकरण	4,26	—	—	4,26	तदेव	16–17 न
	योग	88,94			88,94		

अनुदान संख्या 26

गृह विभाग (कारागार)

प्रदेश की कारागारों में उपलब्ध 410 बोर की मस्केट्स के स्थान पर 303 बोर की रायफल की व्यवस्था

कारागार विभाग के अन्तर्गत कारागारों में कार्यरत बन्दी रक्षकों के पास वर्तमान में उपलब्ध .410 बोर की मस्केट्स वर्तमान संवेदनशील परिस्थितियों में अनुपयुक्त हो गयी है । कारागारों में घटित घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण प्रस्तावित है, जिसके प्रथम चरण में प्रदेश के 5 अति संवेदनशील केन्द्रीय कारागारों के 300 मस्केट्स के स्थान पर 303 बोर की इतनी ही राइफलों के क्रय के लिये 8,28,000 रु० का अनावर्तक व्यय निहित है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में 8,28,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है ।

2---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन---

(हजार रुपयों में)

2056---जेलें-आयोजनेतर--
01--केन्द्रीय कारागार---
101---जेलें
33---अन्य व्यय 8,28

कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में स्थापित "वन विण्डो सेल" का विस्तार व पुनर्गठन

जनता की शिकायतों का निराकरण करने के लिये किसी कार्य विशेष के लिये जनसाधारण को विभाग में अलग-अलग न भटकना पड़े इसलिए "वन विण्डो" प्रणाली अपनाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया था । कारागार महानिरीक्षक के कार्यालय में उक्त निर्णय की पृष्ठ भूमि में "वन विण्डो सेल" का गठन कर दिया गया है, किन्तु इसके लिये कोई अतिरिक्त स्टाफ स्वीकृत नहीं किया गया। इस सेल का पुनर्गठन करके विभागीय अधिकारी की देख- रेख में एक स्वतन्त्र वन विण्डो सेल की स्थापना का प्रस्ताव है, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित पदों का सृजन प्रस्तावित है: ।

इस सेल के लिये आवश्यक साज-सज्जा तथा एक कार्यालय टेलीफोन स्वीकृत करने पर 40,000 रु० का अनावर्तक तथा उपर्युक्त पदों के सृजन पर लगभग 1,00,000 रु० आवर्तक अर्थात् कुल 1,40,000 रु० व्यय निहित है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में 1,40,000 रु० की व्यवस्था कर ली गयी है ।

2-- व्यय का विभाजन---

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग---

क्रम-संख्या	पद	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु०	
1---	शोध अधिकारी	850-1720	1
2---	शोध सहायक	690-1420	2
3---	सांख्यकीय सहायक	625-1240	1
4---	सामाजिक अन्वेषक	625-1240	2
5---	वरिष्ठ सहायक	515-860	1
6---	टंकक	354-550	1
7---	आशुलेखक	515-860	1

3---आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन---

(हजार रुपयों में)

2056---जेलें-आयोजनेतर---
001---निदेशन और प्रशासन---
01---मुख्य---
01---वेतन 50
03---महंगाई भत्ता 35
05---अन्य भत्ते 7
06---कार्यालय व्यय 32
07---टेलीफोन पर व्यय 8
32---अंतरिम सहायता 8

योग .. 1,40

प्रदेश के कारागारों में उद्योगों आदि में लगे बन्दियों को निर्धारित अवधि से अधिक श्रम करने के लिये प्रोत्साहन पारिश्रमिक की धनराशि में वृद्धि

बन्दियों को प्रोत्साहित करने के लिये कारागार विभाग में उद्योगों में निर्धारित सीमा से अधिक श्रम करने पर सिद्धदोष बन्दियों को पारिश्रमिक दिया जाता है। पारिश्रमिक की दरें वर्ष 1981 में पुनरीक्षित की गयी थीं, किन्तु उद्योगों के अतिरिक्त कृषि/बागबानी, सफाई/कार्यों के लिये पारिश्रमिक दिये जाने का प्राविधान पहले नहीं था। सिद्ध-दोष बन्दियों की संख्या में लगातार कमी होने तथा उचित प्रोत्साहन के अभाव में सिद्धदोष बन्दी अतिरिक्त मजदूरी करने से कतराते हैं। कारागार विभाग के उद्योग समुचित पारिश्रमिक के अभाव में प्रभावित हो रहे हैं। अतः माल के अधिक उत्पादन, विभाग की प्राप्तियों में वृद्धि तथा बन्दियों को पुनर्वासित करने की दृष्टि से पारिश्रमिक की दरों में संशोधन करने का प्रस्ताव है। विचाराधीन बन्दियों को प्रेरित कर स्वेच्छा से काम करने पर उनको भी पारिश्रमिक देने का प्रस्ताव है। निर्धारित सीमा से अधिक कार्य करने पर पूर्व प्रचलित दर में संशोधन कर अब कुशल, अर्द्ध कुशल तथा अकुशल बन्दियों की श्रेणी में विभाजित करके उनको क्रमशः 2.50, 2.00, 1.50, प्रति दिन प्रतिबन्दी प्रोत्साहनस्वरूप पारिश्रमिक देने का प्रस्ताव है, जिसमें लगभग 75 लाख रुपये का आवर्तक व्यय निहित है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में 75,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2056—जेलें—आयोजनेतर—
800—अन्य व्यय—
04—जनोपयोगी योजनाओं द्वारा बंदियों का पुनर्वासन—
02—मजदूरी 75,0

कारागार प्रशासन का सुदृढ़ीकरण

कारागार प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत क्षेत्रीय उप कारागार महानिरीक्षक के पद सृजित किये गये थे। उस समय इनके लिये गाड़ियों का क्रय नहीं हो सका था। अब इन्हें गाड़ियां व उनके लिये चालकों के पद स्वीकृत करने का प्रस्ताव है। इसी क्रम में कारागार मुख्यालय पर प्रशासनिक कार्यों के सफलता पूर्वक निर्वहन हेतु अपर कारागार महानिरीक्षक (प्रशासन) का एक निःसंवर्गीय पद भी सृजित करने का प्रस्ताव है। इनके लिये एक एम्बेसडर कार तथा अन्य सहवर्ती स्टाफ की व्यवस्था की जानी है। इन सब उद्देश्यों के लिये वर्ष 1987–88 में कुल 4,26,000 रु० (99,000 रु० आवर्तक तथा 3,27,000 रु० अनावर्तक) का व्यय होना अनुमानित है। तदनुसार आय-व्ययक में इतनी धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—व्यय का विभाजन—
क—अपेक्षित कर्मचारिवर्ग—

क्रमांक	पद	वेतनमान	पदों की संख्या
1—अपर कारागार महानिरीक्षक (प्रशासन)		रु० यथा स्थिति पी० सी० एस० /आई० ए० एस० के संवर्गों के वेतनमान में	1
2—वैयक्तिक सहायक		तदर्थ 570–1100	1
3—चालक		330–495	3
4—अर्दली चपरासी		305–390	1
5—कार्यालय चपरासी		305–390	1

ख—साज-सज्जा के स्थूल ब्योरे—

क्रमांक	मदों	संख्या	दर	धनराशि
				रु०
1—डीजल जीप/मारुति		2	1,06,000	2,12,000
2—ऐम्बेसडर कार (पेट्रोल चालित)		1	1,00,000	1,00,000
3—टाइपराइटर		1	5,000	5,000
4—अन्य फर्नीचर आदि				10,000
			योग	3,27,00

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशियों का लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2056—जेलें—आयोजनेतर—

001—निदेशन और प्रशासन—

01—मुख्य—

01—वेतन	32
03—महंगाई भत्ता	28
04—भाड़ा व्यय	3
05—अन्य भत्ते	6
06—कार्यालय व्यय	15
08—मोटर गाड़ियों की खरीद	3,12
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद	24
32—अन्तरिम सहायता	6
योग ..	4,26

गृह (पुलिस) विभाग

वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें (आयोजनेतर)

(हजार रुपयों में)

क्र० सं०	योजना का नाम	1987–88 में व्यय			योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1987–88 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय				
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1—	पुलिस थानों, चौकियों, कन्ट्रोल रूम, अग्नि शमन केन्द्र एवं पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों पर टेलीफोन की व्यवस्था	9,80	..	..	9,80	2055—पुलिस	21 न
2—	अभियोजन अधिकारियों के लिये विधि पुस्तकों का क्रय	5,00	..	..	5,00	2016—न्याय प्रशासन	21 न
3—	अभिसूचना विभाग के लिये दो पेपर शेडर मशीनों का क्रय	32	..	..	32	2055—पुलिस	21 न
4—	प्रदेश के 15 स्थानों में उत्तर प्रदेश अग्नि शमन सेवा की स्थापना	1,11,21	..	..	1,11,21	2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें	22-23 न
5—	राज्य पुलिस रेडियो संगठन का पुनर्गठन एवं अधुनिकीकरण	1,75,28	..	..	1,75,28	2055—पुलिस	23–24 न
6—	स्पेशल पुलिस फोर्स मुरादाबाद, पुलिस लाइन मिर्जापुर बाराबंकी, मुजफ्फरनगर, बस्ती 31वीं वाहिनी पी0ए0सी रुद्रपुर, 11वीं वाहिनी पी0ए0सी0 सीतापुर में जल सम्पूर्ति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण	..	43,84	..	43,84	4215—जलपूर्ति और मल निकासी पर पूंजी परिव्यय	24 न
7—	पुलिस लाइन मिर्जापुर में विद्युत आपूर्ति हेतु नई पावर टेन्शन लाइन तथा ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था	89	..	..	89	2055—पुलिस	25 न
8—	जी0आर0पी0 चौकियों पर टेलीफोन की व्यवस्था	1,68	..	..	1,68	तदेव	25 न
9—	जनपद गाजियाबाद में पुलिस अस्पताल की स्थापना	2,73	..	..	2,73	तदेव	25–26 न
10—	अष्टम वित्त आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के अन्तर्गत प्रदेश में 25 नये थानों का तृतीय चरण में स्थापना	51,90	..	..	51,90	तदेव	26 न
11—	यातायात निदेशालय एवं प्रदेश के सात महत्वपूर्ण नगरों में यातायात पुलिस के नियंत्रण में वृद्धि	99,01	..	..	99,01	तदेव	27 न
12—	पुलिस लाइन्स ललितपुर तथा पुलिस लाइन्स मिर्जापुर में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था	..	3,32	..	3,32	4059—सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	28 न
13—	पुलिस विभाग के भवनों का पुनर्विद्युतीकरण, विद्युत आपूर्ति तथा मार्ग प्रकाश की व्यवस्था	2,11	..	..	2,11	2059—लोक निर्माण	28–29 न
14—	पुलिस उपमहानिरीक्षक विशेष अपराध उत्तर प्रदेश लिए वाहन की व्यवस्था	1,20	..	..	1,20	2055—पुलिस	29 न
15—	भारत नेपाल सीमा पर नये थानों की स्थापना	1,19,00	..	..	1,19,00	तदेव	30 न
	योग—	5,80,13	47,16	..	6,27,29		

अनुदान संख्या–27

गृह (पुलिस) विभाग

पुलिस थानों, चौकियों, कन्ट्रोल रूम, अग्निशमन क्रेन्द्र एवं पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों पर टेलीफोन की व्यवस्था

पुलिस थानों, चौकियों, कन्ट्रोल रूम, अग्निशमन केन्द्र एवं पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों पर टेलीफोन व्यवस्था न होने के कारण वर्तमान समय में अपराधों की रोकथाम एवं कानून व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने में काफी कठिनाई होती है। अतएव स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु समस्त पुलिस थानों, चौकियों, कन्ट्रोल रूम, अग्निशमन केन्द्र तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों के कार्यालयों/आवासों पर चरणबद्ध रूप में टेलीफोन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1987–88 में 44 पुलिस थानों, 38 पुलिस चौकियों, 9 कन्ट्रोल रूम तथा 9 अग्निशमन अधिकारियों के कार्यालयों अर्थात कुल 100 टेलीफोन अधिष्ठापित किये जायेंगे जिन पर 8,30,000 रु0 अनावर्तक तथा 1,50,000 रु0 आवर्तक अर्थात कुल 9,80,000 रु0 व्यय होगा। तदनुसार वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में 9,80,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन––

	(हजार रुपयों में)
2055––पुलिस–आयोजनेतर–	
108–जिला पुलिस–	
01–जिला पुलिस–(मुख्य)–	
07–टेलीफोन पर व्यय	8,92
2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–आयोजनेतर–	
108–आग से बचाव व उसका नियंत्रण–	
01–प्रशासन–	
07–टेलीफोन पर व्यय	88
योग ..	9,80

अभियोजन अधिकारियों के लिये विधि पुस्तकों का क्रय

राज्य के सभी जिलों में सरकार की ओर से मुकदमों की पैरवी हेतु अभियोजन अधिकारी नियुक्त है। विधि पुस्तकों के अभाव में अधिकारी अपना कार्य सुचारुरूप से नहीं कर पाते जिसके कारण मुकदमों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः शासन द्वारा राज्य के सभी जिलों में अभियोजन अधिकारियों की विभिन्न कानून से सम्बन्धी पुस्तकें क्रय करके उपलब्ध कराये जाने के लिये 1987–88 में तृतीय एवं अन्तिम चरण हेतु 5,00,000 रु0 अनावर्तक की आवश्यकता है। तदनुसार वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में 5,00,000 रु0 की धनराशि सम्मिलित कर ली गई है।

2––आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन––

	(हजार रुपयों में)
2014–न्याय प्रशासन–आयोजनेतर–	
114–कानूनी सलाहकार और परिषदें–	
01–उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय––	
06––कार्यालय व्यय	5,00

अभिसूचना विभाग के लिये 2 पेपर शेडर मशीनों का क्रय

अभिसूचना विभाग के गोपनीय कागजात, कार्बन पत्रावलियां आदि जिनकी आवश्यकता नहीं रह जाती है सुरक्षा की दृष्टि से लाकर नष्ट कर दी जाती हैं। इस कार्य में काफी समय नष्ट होता है। अतः यह प्रस्तावित है कि इस कार्य के लिये दो पेपर शेडर मशीनों की व्यवस्था की जाय जो बेकार कागजों को टुकड़ों में कर देगी तथा इन कागज के टुकड़ों को बेचने पर आय में भी वृद्धि होगी। इस पर 32,000 रु0 अनावर्तक व्यय होगा। तदनुसार वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में 32,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन––

	(हजार रुपयों में)
2055––पुलिस–आयोजनेतर––	
101––आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता––	
01––अभिसूचना अनुभाग––मुख्य	
20––मशीन तथा सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र	32

प्रदेश के 19 स्थानों में उत्तर प्रदेश अग्नि शमन सेवा की स्थापना

प्रदेश के निम्नलिखित 19 जनपदों के सम्मुख उल्लिखित स्थानों/तहसील मुख्यालयों की आवश्यकता जनसंख्या, जनजीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा, साम्प्रदायिक संवेदनशीलता तथा अन्य बिन्दुओं को दृष्टि में रखते हुए यह प्रस्तावित है कि इन स्थानों/तहसील मुख्यालयों में उत्तर प्रदेश अग्नि शमन सेवा की स्थापना की जाय--

कम-सं0	जनपद का नाम	प्रस्तावित स्थान/तहसील मुख्यालय का नाम
1	रायबरेली	लालगंज
2	गोण्डा	बलरामपुर
3	बुलन्दशहर	खर्जा
4	फैजाबाद	टाण्डा
5	गाजियाबाद	मोदीनगर
6	मुजफ्फरनगर	शामली
7	अलीगढ़	हाथरस
8	एटा	कासगंज
9	बिजनौर	नगीना
10	मैनपुरी	शिकोहाबाद
11	जालौन	कोंच
12	बदायूं	सहसवान
13	खीरी	गोला
14	नैनीताल	खटीमा
15	कानपुर देहात	भोगनीपुर
16	इलाहाबाद	सिराथू
17	सीतापुर	बिसवां
18	मुरादाबाद	चन्दौसी
19	उन्नाव	बांगरमऊ

इस योजना पर 80,24,000 रु0 का आवर्तक व्यय तथा 30,97,000 रु0 का अनावर्तक व्यय अर्थात कुल 1,11,21,000 रु0 का व्यय भार निहित है, जिसकी व्यवस्था वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में कर ली गई है ।

2--व्यय का विभाजन--

क--अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

पद	वेतनक्रम	पदों की संख्या
		रु0
1--फायर स्टेशन आफिसर	690-1,420	19
2--फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर	515-860	19
3--लीडिंग फायर मैन	400-615	76
4--फायर सर्विस ड्राइवर	400-615	76
5--फायरमैन	364-550	494
6--ए0 एस0 आई0 (एम)	430-685	19
7--सफाई कर्मचारी	305-390	19
8--रसोइया (कुक)	325 नियत वेतन पर	19
9--कहार	225 नियत वेतन पर	19

(ख) साज सज्जा, मशीनें भण्डार आदि के स्थूल ब्योरे—

मद	संख्या
1—वाटर टेण्डर	38
2—टोइंग व्हेकिल/टोइंग कम रेस्क्यूवैन	19
3—स्माल ट्रेलर पम्प	19

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें —आयोजनेतर—

108—आग से बचाव और उसका नियंत्रण—

01—प्रशासन—

	(हजार रुपयों में)
01—वेतन—	37,66
03—महंगाई भत्ता	31,49
04—यात्रा व्यय	38
05—अन्य भत्ते	6,34
06—कार्यालय व्यय	1,90
07—टेलीफोन पर व्यय	1,71
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	3,04
19—लघु निर्माण-कार्य पर व्यय	28,50
33—अन्य व्यय	19
योग ..	1,11,21

राज्य पुलिस रेडियो संगठन का पुनर्गठन एवं आधुनिकीकरण

प्रदेश पुलिस की दूर संचार व्यवस्था में कमियों को देखते हुए शासन ने एक प्लानिंग ग्रुप का गठन किया था जिसकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस रेडियो शाखा में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ आधुनिकतम एवं पुनर्गठित किये जाने का प्रस्ताव है। इस निर्णय को चार चरणों में पूर्ण किया जाना है जिसका कि "फेज—0" वर्ष 1985—86 में स्वीकृत किया जा चुका है। अब "फेज—1" की योजनाओं को पूरा करने के लिये स्टाफ, साज-सज्जा एवं उपकरण आदि उपलब्ध कराया जाना अत्यावश्यक एवं अपरिहार्य समझा गया है। इस कार्य पर कुल 175.28 लाख रु0 अर्थात 147.45 लाख रु0 का अनावर्तक व्यय तथा 27.83 लाख रु0 का आवर्तक व्यय अनुमानित है, जिसकी व्यवस्था वर्ष 1987—88 के आय-व्ययक में कर ली गई है।

2—व्यय का विभाजन—

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग—

पद	वेतनमान	विशेष वेतन	पदों की संख्या
	रु0		
1—सहायक रेडियो अधिकारी ..	850—1720	..	1
2—रेडियो अनुरक्षण अधिकारी ..	570—1100	..	2
3—प्रधान परिचालक (यांत्रिक) ..	470—735	रु0 30 प्र0 मा0	69
4—प्रधान परिचालक ..	470—735	रु0 15 प्र0 मा0	48
5—सहायक परिचालक ..	400—615	..	46
6—वर्कशाप हैण्ड ..	330—495	..	2
7—मैसेन्जर/प्यून ..	305—390	..	11

(ख) साज-सज्जा/उपकरण/गाड़ियों आदि के स्थूल ब्योरे--

मद	धनराशि
	(लाख रुपयों में)
साज-सज्जा/उपकरण/संयंत्र	147.45

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2055--पुलिस-आयोजनेतर-
108-जिला पुलिस-
03-राज्य रेडियो अनुभाग-मुख्य--

	(हजार रुपयों में)
01--वेतन	9,53
03--मंहगाई भत्ता	9,08
06--अन्य भत्ते	4,36
20--मशीनें और साज सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र	1,47,45
23--अनुरक्षण	4,86
योग ..	1,75,28

स्पेशल पुलिस फोर्स, मुरादाबाद, मिर्जापुर, बाराबंकी, मुजफ्फरनगर, बस्ती, 31वीं वाहिनी पी० ए० सी०, रुद्रपुर तथा ग्यारहवीं वाहिनी पी० ए० सी०, सीतापुर में जल सम्पूर्ति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

स्पेशल पुलिस फोर्स मुरादाबाद, पुलिस लाइन मिर्जापुर, बाराबंकी, मुजफ्फरनगर, बस्ती, 31वीं वाहिनी पी० ए० सी० रुद्रपुर तथा ग्यारहवीं वाहिनी पी० ए० सी० सीतापुर में जल सम्पूर्ति की वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त है जिसके कारण संबंधित कर्मियों को पेयजल का संकट है। इसके निराकरण के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा जल सम्पूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ कराये जाने का प्रस्ताव है। प्रत्येक कार्य की अनुमानित लागत वर्ष 1987-88 में व्यय के लिये धनराशि की आवश्यकता निम्नवत है, जिसमें जल निगम को देय चार्जेज और विभागीय फीस की राशि भी सम्मिलित है।

कार्य का नाम	अनुमानित लागत	वर्ष 1987-88 में धनराशि की आवश्यकता
	रु०	रु०
1- स्पेशल पुलिस फोर्स मुरादाबाद	11,94,000	5,97,000
2- पुलिस लाइन मिर्जापुर	24,22,000	9,76,000
3- पुलिस लाइन बाराबंकी	11,88,000	5,94,000
4- पुलिस लाइन मुजफ्फरनगर	14,86,000	7,43,000
5- पुलिस लाइन, बस्ती	10,85,000	5,42,000
6- 31वीं वाहिनी पी० ए० सी० रुद्रपुर	4,71,000	4,71,000
7- 11वीं वाहिनी पी० ए० सी० सीतापुर	9,28,000	4,61,000

तदनुसार वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में 43,84,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है ।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशियों का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

4215--जल पूर्ति और मल निकासी--पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेतर--
01--जलपूर्ति--
101--शहरी जल पूर्ति--
01--पुलिस विभाग को जल प्रदाय योजना--
19--वृहत निर्माण-कार्य 43,84

पुलिस लाइन मिर्जापुर में विद्युत आपूर्ति हेतु हाई पावर टेन्सन लाइन तथा ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था

जनपद मिर्जापुर की पुलिस लाइन में विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था नहीं है जिसके कारण पुलिस कर्मियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतएव स्थिति के निराकरण हेतु 88,977 रु0 की अनुमानित लागत पर हायडिल विभाग से हाई पावर टेन्सन लाइन तथा ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव किया गया है। उक्त कार्य निक्षेप कार्य के रुप में किया जायेगा और प्रश्नगत लागत में हायडिल विभाग को देय अधिष्ठान व्यय आदि की धनराशि भी शामिल है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि की आवश्यकता वर्ष 1987--88 में होगी, इसलिये वर्ष 1987--88 के आय-व्ययक में 89,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2---आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन---

(हजार रुपयों में)

2055---पुलिस--आयोजनेतर--
800---अन्य व्यय--
पुलिस लाइन मिर्जापुर में विद्युत आपूर्ति हेतु हाई पावर टेन्सन लाईन तथा ट्रांसफार्मर की व्यवस्था---
18---लघु निर्माण कार्य 89

जी0 आर0 पी0 चौकियों पर टेलीफोन की व्यवस्था

जी0आर0पी0 चौकियों पर टेलीफोन की व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण वर्तमान समय में अपराधों की रोकथाम एवं कानून व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने में काफी कठिनाई होती है। अतएव स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु 37 जी0 आर0 पी0 चौकियों पर दो चरणों में टेलीफोन की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रथम चरण में 18 जी0 आर0 पी0 चौकियों पर वर्ष 1987--88 में तथा शेष 19 चौकियों पर वर्ष 1988--89 में टेलीफोन अधिष्ठापित किये जायेंगे। वर्ष 1987--88 में 18 चौकियों पर टेलीफोन अधिष्ठापित किये जाने पर 1,50,000 रु0 अनावर्तक तथा 18,000 रु0 आवर्तक अर्थात कुल 1,68,000 रु0 व्यय होगा। तदनुसार वर्ष 1987--88 के आय व्ययक में 1,68,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2---आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन---

(हजार रुपयों में)

2055---पुलिस--आयोजनेतर--
110--रेलवे पुलिस--
01--मुख्य--
07--टेलीफोन पर व्यय 1,68

जनपद गाजियाबाद में पुलिस अस्पताल की स्थापना

जनपद गाजियाबाद में नियुक्त पुलिस कर्मियों की चिकित्सा सुविधा की समुचित व्यवस्था करने के उद्देश्य से वर्तमान व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। इस कार्य हेतु आवश्यक भवन उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 1982 में अस्थायी रुप से एक आउट डोर डिसपेन्सरी स्वीकृत कर दी गयी थी। अब भवन उपलब्ध है, जिसमें 26 शय्या वाले पुलिस अस्पताल की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इस कार्य हेतु पूर्व स्वीकृत पदों/साज सज्जा आदि के समायोजन के उपरान्त 2,55,000 रु0 का आवर्तक एवं 18,000 रु0 का अनावर्तक अर्थात् कुल 2,73,000 रु0 का व्यय निहित है, जिसकी व्यवस्था वर्ष 1987--88 के आय व्ययक में कर ली गयी है।

2---व्यय का विभाजन---

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

पद	वेतनमान	पदों की संख्या
	रु0	
1--चिकित्सा अधिकारी	850--1720	2
2---सिस्टर	515--860	2
3---स्टाफ नर्स	470--735	3
4---फार्मेसिस्ट	400--615	4
5---वार्ड ब्वाय	305--390	2
6---कुक	305--390	3
7---कहार	305--390	3
8---सफाई कर्मचारी	305--390	2

(ख) साजसज्जा भण्डार आदि के स्थूल ब्योरे--

मद	धनराशि
	रु0
1---साज सज्जा उपकरण तथा संयंत्र	30,000

3--आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2055--पुलिस-आयोजनेतर-

112 -पुलिस कार्मिकों का कल्याण--

(हजार रुपयों में)

02--चिकित्सालय व्यय--

0201--जिला पुलिस--

01--वेतन	1,06
03--मंहगाई भत्ता	80
05--अन्य भत्ते	15
20--मशीनें तथा साज सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र	30
25--सामग्री और संपूर्ति	14
33--अन्य व्यय	28
योग ..	2,73

अष्टम वित्त आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के अन्तर्गत प्रदेश में 25 नये थानों की तृतीय चरण में स्थापना

प्रदेश की जनसंख्या को बढ़ोतरी, बढ़ते औद्योगिक विकास एवं अपराधों की रोकथाम बनाये रखने के उद्देश्य से अष्टम वित्त आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के तृतीय चरण में 25 ग्रामीण थानों की स्थापना प्रस्तावित है। इस हेतु 50 उप निरीक्षक, 25 हेड कानिस्टबिल तथा 350 कानिस्टबिल (नागरिक पुलिस) के नये पदों की आवश्यकता होगी। इस योजना पर 45,94,000 रु0 आवर्तक तथा 5,96,000 रु0 अनावर्तक अर्थात् कुल 51,90,000 रु0 का व्यय भार निहित है. योजना पर होने वाले व्यय की पूर्ति भारत सरकार की आर्थिक सहायता से की जायेगी। तदनुसार वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में 51,90,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--व्यय का विभाजन--

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

क्रमांक	पद	वेतन-मान	पदों की संख्या
		रु0	
1	उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस)	.. 515-860 ..	50
2	हेड कानिस्टबिल (नागरिक पुलिस)	.. 400-615 ..	25
3	कानिस्टबिल (नागरिक पुलिस)	.. 364-550 ..	350

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2055--पुलिस- आयोजनेतर--

108--जिला पुलिस--

02--प्रशासन के स्तर के उन्नयन के सम्बन्ध में अष्टम वित्त आयोग की सस्तुतियों का कार्यान्वयन--

प्रदेश में 25 नये थानों की तृतीय चरण में स्थापना--

(हजार रुपयों में)

01--वेतन	19,50
03--महंगाई भत्ता	17,50
05--अन्य भत्ते	8,95
06--कार्यालय व्यय	5,95
योग ..	51,90

यातायात निदेशालय एवं प्रदेश के सात महत्वपूर्ण नगरों में यातायात पुलिस के नियतन में वृद्धि

प्रदेश में यातायात की वर्तमान व्यवस्था में सुधार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए यातायात निदेशालय एवं प्रदेश के सात महत्वपूर्ण नगरों यथा लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ तथा गाजियाबाद में यातायात पुलिस के नियतन में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है। अतः प्रस्ताव है कि यातायात निदेशालय में बढ़े हुए कार्य के पर्यवेक्षण के लिए पुलिस अधीक्षक स्तर के एक उप निदेशक के पद के सृजन के साथ उन्हें सहवर्ती स्टाफ उपलब्ध करा दिया जाय तथा कानपुर और लखनऊ नगरों में यातायात व्यवस्था के निर्देशन के लिए एक-एक पुलिस अधीक्षक (यातायात) के पदों के सृजन के साथ-साथ उन्हें सहवर्ती स्टाफ वाहन एवं उपकरण आदि उपलब्ध कराया जाय। तदनुसार कानपुर की यातायात व्यवस्था के नियंत्रण के लिए वहां एक पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) का पद सृजित करके उसे वाहन आदि उपलब्ध करा दिया जाय। इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तावित है कि प्रदेश के सात महत्वपूर्ण नगरों यथा लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ तथा गाजियाबाद में यातायात व्यवस्था के सुधार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए कान्सटबिल के 757 पदों, हेड कान्सटबिल के 243 पदों, एवं उप निरीक्षक (यातायात) के 50 पद स्वीकृत कर दिये जायें तथा उप-निरीक्षकों के प्रयोगार्थ 50 मोटर साइकिलें स्वीकृत कर दी जाय और पुलिस अधीक्षक स्तर के तीनों अधिकारियों के लिए तीन एम्बेस्डर कार, उपाधीक्षक के लिए जिप्सी जीप तथा इनके प्रयोगार्थ 6 टेलीफोन एवं तीन हिन्दी टाइप मशीन स्वीकृत कर दी जाय। इस योजना पर 84,21,000 रु0 आवर्तक व्यय तथा 14,80,000 रु0 अनावर्तक व्यय अर्थात कुल 99,01,000 रु0 का व्यय निहित है। तदनुसार वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में 99,01,000 रु0 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—व्यय का विभाजन—

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग—

वर्ग	वेतन-क्रम	पदों की संख्या
	रु0	
1—पुलिस अधीक्षक (यातायात)	आई0पी0एस0 वरिष्ठ वर्ग का वेतनमान	3
2—पुलिस उपाधीक्षक (यातायात)	1250–2050	1
3—डिप्टी इन्सपेक्टर (एम)	570–1100	1
4—उप निरीक्षक (यातायात)	515–860	50
5—एस0आई0 (एम) आशुलिपिक	515–860	2
6—हेड कान्सटबिल (यातायात)	400–615	243
7—कान्सटबिल (यातायात)	364–550	757
8—मोटर चालक	364–550	4
9—कार्यालय चपरासी/अर्दली चपरासी	305–390	7

(ख) उपकरण एवं साज-सज्जा व मशीनों के स्थूल व्योरे—

मदें	संख्या	आवर्तक व्यय	अनावर्तक व्यय
		रु0	रु0
1—हिन्दी टाइप-राइटर	3	..	15,000
2—टेलीफोन	6	3,000	8,000
3—एम्बेस्डर कार	3	45,000	3,06'000
9—जिप्सी जीप	1	12,000	1,01,000
5—मोटर साइकिल (रायल इनफील्ड)	50	1,00,000	10,50,000
योग		1,60,000	14,80,000

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2055—पुलिस—आयोजनेत्तर—

108—जिला पुलिस—

01—जिला पुलिस (मुख्य)—

	(हजार रुपयों में)
01—वेतन	32,71
03—महंगाई भत्ता	49,90
05—अन्य भत्ते	12,60
20—मशीन एवं सज्जा, उपकरण, और संयंत्र	14,80
योग	99,01

पुलिस लाइन ललितपुर तथा पुलिस लाइन मिर्जापुर में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था

जनपद ललितपुर तथा जनपद मिर्जापुर की पुलिस लाइन में मार्ग प्रकाश की कोई व्यवस्था नही है जिसके कारण रात्रि-कालीन ड्यूटी में पुलिस जनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतएव इसके निराकरण के लिए पुलिस लाइन ललितपुर में 1,20,772 रु0 तथा पुलिस लाइन मिर्जापुर में 2,10,620 रु0 की अनुमानित लागत पर मार्ग प्रकाश की व्यवस्था कराये जाने का निश्चय किया गया है। इस प्रकार उक्त कार्यो हेतु आय-व्ययक वर्ष 1987-88 में कुल 3,31,392 रु0 का व्यय अनुमानित है, जिसकी व्यवस्था उक्त वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक मे व्यवस्थित धनराशियों का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

4059--सरकारी निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय--अयोजनेतर--

01--कार्यालयों की इमारतें--

101--निर्माण--सामान्य--पूल आवास--

08--निर्माण--पुलिस--

	(हजार रुपयों में)
1--पुलिस लाइन ललितपुर में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था	1,21
2--पुलिस लाइन, मिर्जापुर में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था	2,11
योग ..	3,32

पुलिस विभाग के भवनों का पुनर्विद्युतीकरण, विद्युत आपूर्ति तथा मार्ग प्रकाश की व्यवस्था

पुलिस लाइन, एटा के भवनों की वायरिंग काफी पुरानी होने के कारण जीर्ण-शीर्ण हो गई है। परिणामस्वरूप किसी भी समय अग्निकाण्ड आदि की दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा उक्त पुलिस लाइन में मार्ग प्रकाश की भी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण रात्रिकालीन ड्यूटी में पुलिस कर्मियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतएव इसके निराकरण के लिए 49,600 रु0 के अनुमानित लागत पर प्रश्नगत भवनों का पुनर्विद्युतीकरण तथा पुलिस लाइन परिसर में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव है।

2--अभिसूचना विभाग, लखनऊ के कार्यालय भवन की वायरिंग बहुत पुरानी होने के कारण जीर्ण-शीर्ण हो गई है। परिणाम स्वरूप किसी भी समय अग्निकाण्ड आदि की दुर्घटना हो सकती है। अतएव इसके निराकरण के लिए 79,900 रु0 की अनुमानित लागत पर उक्त भवन का पुनर्विद्युतीकरण कराये जाने का प्रस्ताव है।

3--आठवीं वाहिनी पी0 ए0 सी0, बरेली में भी विद्युत आपूर्ति संतोषजनक नहीं है। परिणाम स्वरूप बीच-बीच में ब्रेक-डाउन होने के कारण पी0ए0सी0 अधिकारियों/कर्मियों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतएव इसके निराकरण हेतु 41,850 रु0 की अनुमानित लागत पर 400 के0वी0ए0, ओ0सी0बी0 की व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव है।

4--पुलिस कार्यालय, मुरादाबाद के भवन की वायरिंग भी बहुत पुरानी हो जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके कारण किसी भी समय अग्निकाण्ड आदि की दुर्घटना घटित हो सकती है। अतएव इसके निराकरण के लिए 39,200 रु0 की अनुमानित लागत पर उक्त भवन का पुनर्विद्युतीकरण कराये जाने का प्रस्ताव है।

इस प्रकार उक्त कार्यो पर कुल 2,10,550 रु0 की आवश्यकता वित्तीय वर्ष 1987--88 में होगी। तदनुसार वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में 2,11,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशियों का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2059--लोक निर्माण--आयोजनेतर—

80--सामान्य--

051--निर्माण--

04—निर्माण--पुलिस--

(हजार रुपयों में)

1--पुलिस लाइन ; एटा के भवनों का पुनर्विद्युतीकरण तथा परिसर में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था	50
2--अभिसूचना विभाग, लखनऊ के कार्यालय भवन का पुनर्विद्युतीकरण ..	80
3--आठवी वाहिनी पी0एस0सी0, बरेली में विद्युत आपूर्ति हेतु 409 के0वी0 ए0 ओ0सी0 वी0 की व्यवस्था	42
4--पुलिस कार्यालय, मुरादाबाद में भवन का पुनर्विद्युतीकरण	39
योग ..	2,11

पुलिस उप महानिरीक्षक विशेष अपराध, उत्तर प्रदेश के लिये वाहन की व्यवस्था

प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस की गतिशीलता बनाये रखना आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुलिस उप महानिरीक्षक विशेष अपराध उ0प्र0 को एक अम्बेसडर कार एवं उसके परिचालनार्थ कानिस्टबिल ड्राइवर का एक पद स्वीकृत करने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 1987-88 में 1,00,000 रु0 अनावर्तक एवं 20,000 रु0 आवर्तक अर्थात कुल 1,20,000 रु0 की आवश्यकता है; जिसकी व्यवस्था वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में कर ली गयी है।

2—व्यय का विभाजन—

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

पद	वेतनमान	पद संख्या
कानिस्टबिल ड्राइवर	रु0 .. 364-550	1

(ख) सज्जा भण्डार गाड़ियों आदि के स्थूल व्योरे—

मद	संख्या	धनराशि
		रु0
अम्बेसडर कार	1	1,00,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2055--पुलिस--आयोजनेतर-	
108-जिला पुलिस-	
01--जिला पुलिस (मुख्य)—	
01--वेतन	3
01--महंगाई भत्ता	2
05--अन्य भत्ते	3
08--मोटर गाड़ियों का क्रय	1,00
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद	12
योग ..	1,20

भारत नेपाल सीमा पर नये थानों की स्थापना

भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा अपराधों की रोकथाम बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद गोरखपुर, बस्ती, गोण्डा, बहराइच, खीरी तथा पीलीभीत में 12 नये थाने प्रथम चरण में स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है। जिसपर 65,00,000 रुपये आवर्तक तथा 54,00,000 रुपये अनावर्तक अर्थात कुल 1,19,00,000 रुपये की आवश्यकता है। तदनुसार वर्ष 1987–88 के आय व्ययक में 1,19 00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2––व्यय का विभाजन––

क––अपेक्षित कर्मचारिवर्ग––

पद	वेतन-मान	पदों की संख्या
	रु0	
1––इन्सपेक्टर (नागरिक पुलिस)	690–1420	12
2––सब इन्सपेक्टर (नागरिक पुलिस)	515–860	72
3––हेड कानिस्टबिल (नागरिक पुलिस)	400–615	48
4––कानिस्टबिल (नागरिक पुलिस)	364–550	540
5––हेड आपरेटर	470–735	1
6––सहायक आपरेटर	400–615	3
7––कानिस्टबिल ड्राइवर	364–550	7
8––रसोइयां (कुक)	325–नियत वेतन	1
9––कहार	225 नियत वेतन	1

ख–साज सज्जा के स्थूल ब्योरे––

क्रमांक	मदें	संख्या	दर	धनराशि
			रु0	रु0
1	डीजल जीप	12	10,60,00	12,72,000
2	मोटर साइकिल	12	18,000	2,16,000
3	वायरलेस, सेट, टेलीफोन सेट तथा अन्य हथियार, उपकरण, साज-सज्जा आदि		––	39,12,000
			योग	54,00,000

8––आय–व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन––

2055––पुलिस आयोजनेतर––

108–जिला पुलिस––

(हजार रुपयों में)

01–जिला पुलिस (मुख्य)––

01––वेतन	31,00
02––मंहगाई भत्ता	28,00
04––यात्रा व्यय	12
05––अन्य भत्ते	2,60
06––कार्यालय व्यय	12
07––टेलीफोन पर व्यय	1,08
20––मशीन और साज–सज्जा उपकरण और संयंत्र	38,04
21––मोटर गाड़ियों की खरीद	14,88
22––मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद	24
32––अन्तरिम सहायता	2,80
33––अन्य व्यय	12
योग,	1,19,00

चिकित्सा विभाग

वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें (आयोजनेतर)

(हजार रुपयों में)

क्रम0-सं0	योजना का नाम	1987–88 में व्यय			योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1987–88 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय				
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	स्वास्थ्य मंत्री जी के दान कोष में गैर-क्षय रोगियों तथा क्षय रोगियों की चिकित्सा सहायता हेतु प्राविधान में वृद्धि	1,90	—	—	1,90	2210–चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	33 न
2.	गैर-सरकारी आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों और औषधालयों को अनुदान	75	—	—	75	2210–चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	33 न
3.	गैर सरकारी होम्योपैथिक चिकित्सालयों/चिकित्सकों को अनुदान	25	—	—	25	2210–चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	34 न
4.	राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के सम्बन्ध में निरीक्षण शुल्क का भुगतान	30	—	—	30	2210–चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	34 न
5.	राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों एवं राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के जुनियर डाक्टर/इन्टर्नस की परिलब्धियों में अन्तरिम वृद्धि	1,36,93	—	—	1,36,93	2210–चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	34–35 न
	योग	1,40,13	—	—	1,40,13		

अनुदान संख्या–32

चिकित्सा विभाग –एलोपैथिक चिकित्सा

स्वास्थ्य मंत्री जी के दान कोष में गैर क्षय रोगियों तथा क्षय रोगियों की चिकित्सा सहायता हेतु प्राविधान में वृद्धि

अल्प आय वर्ग के एवं असहाय रोगियों को चिकित्सा सुविधा एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में व्यय को वहन करने के लिये एक दानकोष स्वास्थ्य मंत्री जी के निस्तारण पर रहता है। इस दानकोष से सामान्य रूप से स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा अपने विवेकानुसार छोटी-छोटी धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में रोगियों को स्वीकृत की जाती है। यह आर्थिक सहायता सामान्य रूप से 500 रुपये की सीमा तक होती है किन्तु कतिपय मामलों में अधिकतम 1000 रुपये तक स्वीकृत की जाती है। इस दान कोष हेतु चिकित्सा विभाग के बजट में वर्तमान में क्षय रोगियों के लिये 75,000 रुपये वार्षिक एवं अन्य रोगियों के लिये 85,000 रुपये वार्षिक की व्यवस्था रहती है। पिछले कुछ समय से यह अनुभव किया जा रहा है कि उपर्युक्त रोगियों हेतु दानकोष में की जा रही वार्षिक व्यवस्था नितान्त अपर्याप्त है, क्योंकि इधर दवाओं एवं पौष्टिक आहार आदि के मूल्यों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ सहायता मांगने वाले रोगियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि क्षय एवं गैर क्षय रोगियों के निमित्त दानकोष से स्वीकृत की जाने वाली धनराशियों में यथेष्ठ वृद्धि की जाय। तदनुसार वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में गैर क्षय रोगियों और क्षय रोगियों के लिये क्रमशः 1,15,000 रु० एवं 75,000 रु० की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।

2––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन––

(हजार रुपयों में)

2210––चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य–आयोजनेतर–

01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें–एलोपैथी–

800–अन्य व्यय–

01–चिकित्सालयों एवं औषधालयों के अनुदान

0112–स्थानीय निकायों सहित अशासकीय संस्थाओं को सहायक अनुदान

14––सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 1,90

अनुदान संख्या––33

चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

गैर सरकारी आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों और औषधालयों को अनुदान–

प्रदेश में जो स्वैच्छिक संस्थायें अथवा व्यक्ति आयुर्वेदिक चिकित्सालयों अथवा औषधालयों में निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं उनको पिछले तीन वर्षों की रोगियों की दैनिक औसत संख्या पर 10 रुपये प्रति रोगी प्रतिवर्ष की दर से अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान की दर बहुत वर्षों पहले निर्धारित की गयी थी तब से दवाओं के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है। अब कुछ रजिस्टर्ड संस्थाओं द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी खोले गये हैं जहां रोगियों को उपचार के लिये शैय्याओं की भी व्यवस्था है। ऐसे चिकित्सालयों के लिये उक्त अनुदान की धनराशि नगण्य होती है। अब यह प्रस्तावित है कि जो गैर रजिस्टर्ड संस्थायें और व्यक्ति आयुर्वेदिक चिकित्सालय अथवा औषधालय चलाते हैं और निःशुल्क चिकित्सा करते हैं उनको पिछले तीन वर्षों की रोगियों की दैनिक औसत संख्या पर 20 रु० प्रति रोगी प्रतिवर्ष की दर से अनुदान स्वीकृत किया जाय, किन्तु किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति को 500 रु० से कम तथा 2,000 रु० से अधिक न दिया जाय। इसी प्रकार जो रजिस्टर्ड संस्थायें आयुर्वेदिक चिकित्सालय चलाती हैं उन्हें उनके पिछले वर्ष के आय-व्ययक के विवरण में दर्शायी गयी घाटे की धनराशि का 50 प्रतिशत अनावर्तक अनुदान इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत कर दिया जाय कि ऐसी संस्थायें अपने आय-व्ययक का विवरण किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से आडिट कराकर उसकी रिपोर्ट के साथ भेजें और अनुरक्षण अनुदान की धनराशि किसी एक संस्था को एक वर्ष में 5,000 रु० से अधिक न दी जाये। ऐसी संस्थाओं को उपकरणों, साज-सज्जा अथवा भवन निर्माण हेतु अलग से अनावर्तक अनुदान दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 1987–88 में 75,000 रु० का अतिरिक्त व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार इस प्रयोजन हेतु आय-व्ययक में 75,000 रु० की व्यवस्था कर ली गई है। योजना की औपचारिक स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के उपरान्त प्रदान की जायेगी।

3––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन––

(हजार रुपयों में)

2210––चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य–आयोजनेतर –

02–शहरी स्वास्थ्य सेवायें–अन्य चिकित्सा पद्धतियां–

04–अन्य व्यय–गैर सरकारी संस्थाओं को सहायक अनुदान–आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों एवं औषधालयों को अनुदान

14–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 75

अनुदान संख्या—34

चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

गैर सरकारी होम्योपैथिक चिकित्सालयों/चिकित्सकों को अनुदान

प्रदेश में जो स्वैच्छिक संस्थायें अथवा व्यक्ति होम्योपैथिक चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं उनके पिछले तीन वर्षों की रोगियों की दैनिक औसत संख्या पर 5 रु0 प्रति रोगी प्रतिवर्ष की दर से अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान की दर कई वर्ष पहले निर्धारित की गयी थी तब से दवाओं के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है। अब कुछ रजिस्टर्ड संस्थाओं द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सालय भी खोले गये हैं जहां रोगियों को उपचार के लिये शैय्याओं की भी व्यवस्था है। ऐसे चिकित्सालयों के लिये उक्त अनुदान की धनराशि नगण्य होती है। अब यह प्रस्तावित है कि जो गैर रजिस्टर्ड संस्थायें और व्यक्ति होम्योपैथिक चिकित्सालय चलाते हैं और निःशुल्क चिकित्सा करते हैं उनको पिछले तीन वर्षों की रोगियों की दैनिक औसत संख्या पर 10 रु0 प्रति रोगी/प्रतिवर्ष की दर से अनुदान स्वीकृत किया जाय किन्तु किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति को 250 रु0 से कम तथा 1,000 रु0 से अधिक न दिया जाय। इसी प्रकार जो रजिस्टर्ड संस्थायें होम्योपैथिक चिकित्सालय चलाती हैं उन्हें उनके पिछले वर्ष के आय-व्यय के विवरण में दर्शायी गयी घाटे की धनराशि का 50 प्रतिशत अनावर्तक अनुदान इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत कर दिया जाय कि ऐसी संस्थायें अपने आय-व्ययक का विवरण किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से आडिट कराकर उसकी रिपोर्ट के साथ भेजें और अनुरक्षण अनुदान की धनराशि किसी एक संस्था की एक वर्ष में 5,000 रु0 से अधिक न होगी। ऐसी संस्थाओं को उपकरणों, साज-सज्जा अथवा भवन-निर्माण हेतु अलग से अनावर्तक अनुदान दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 1987–88 में 25,000 रु0 का अतिरिक्त व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार आय-व्ययक में 25,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है। योजना की औपचारिक स्वीकृति विस्तृत परीक्षण के उपरान्त प्रदान की जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2210–चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य–आयोजनेतर–
02–शहरी स्वास्थ्य सेवायें–अन्य चिकित्सापद्धतियां–
102–होम्योपैथी—अशासकीय होम्योपैथिक संस्थाओं को अनुदान
14–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 25

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के सम्बन्ध में निरीक्षण शुल्क का भुगतान—

उत्तर प्रदेश में इस समय 10 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज हैं जिनमें केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् नई दिल्ली द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। यह सभी मेडिकल कालेज, आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं तथा इनमें बी0एच0एम0एस0 की डिग्री प्रदान की जाती है। केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली ने प्रत्येक मेडिकल कालेज के लिये प्रति वर्ष 3,000 रु0 निरीक्षण शुल्क मांगा है यह शुल्क प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् को दिया जाना आवश्यक है। परिषद् द्वारा प्रदेश के समस्त होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के निरीक्षण का अभिप्राय यह होगा कि प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई की जा रही है तथा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रत्येक कालेज में कालेज के साज-सज्जा व परीक्षा आदि की व्यवस्था किस प्रकार की जा रही है। तदनुसार इस प्रकार के 10 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के लिये प्रति कालेज 3,000 रु0 प्रतिवर्ष की दर से कुल 30,000 रु0 की धनराशि की व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-आयोजनेतर-
102-होम्योपैथी-
05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान-होम्योपैथी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय का निरीक्षण शुल्क 30

अनुदान संख्या—35

चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों एवं राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के जूनियर डाक्टर/इन्टर्न्स की परिलब्धियों में अन्तरिम वृद्धि—

राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों एवं राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में कार्यरत जूनियर डाक्टरों एवं इन्टर्नस की मांगों पर विचारोपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि इन्टर्नस की कुल मासिक परिलब्धियां दिनांक–1 नवम्बर, 1986 से 31 दिसम्बर, 1986 के मध्य 750 रुपये एवं 1 जनवरी, 1987 से 1,000 रुपये की जायें। अन्य जूनियर डाक्टरों की कुल मासिक परिलब्धियों में 1 नवम्बर, 1986 से 400 रुपये प्रतिमाह की अन्तरिम वृद्धि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृति की जाय कि इस वृद्धि के फल-

स्वरूप चीफ रेजीडेन्ट डिमान्सट्रेटर एवं रजिस्ट्रार आदि के पदधारकों की कुल मासिक परिलब्धियां दिनांक 1 नवम्बर, 1986 की 1950 रुपये से अधिक न होगी। इस निर्णय के फलस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष के आयोजनेतर आय-व्ययक में 1,36,93,000 रु० का व्यय भार अनुमानित है जिसके लिये वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गयी है। चूंकि इस योजना को लेखा अनुदान की अवधि में कार्यान्वित करना आवश्यक था। अत: राज्य आकस्मिकता निधि से 65,73,000 रुपये का अग्रिम आहरित करके योजना की स्वीकृति दे दी गई। आय-व्ययक पारित होने के बाद अग्रिम की प्रतिपूर्ति राज्य आकस्मिकता निधि में स्वत: हो जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2210–चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य–आयोजनेतर–
05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान–
105–एलोपैथी–
01 शिक्षा–डाक्टरी पढ़ने वाले छात्रों को छात्र वेतन तथा छात्रवृत्तियां
15–छात्रवृत्तियां तथा छात्र वेतन 1,36,93

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B,Sri Aurobindo Marg,NewDelhi-110016
DOC. No.....
Date.....

नागरिक उड्डयन विभाग

वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें (आयोजनेतर)

क्र0 सं0	योजना का नाम	1987–88 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1987–88 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1—राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय के लेखा की आन्तरिक सम्परीक्षा हेतु सम्परीक्षकों के पदों का सृजन		34	..	..	34	2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें	39न
2—राजकीय हेलीकाप्टर हेतु आई0 एफ0 आर0 सिस्टम का क्रय एवं अधिष्ठापन (इन्स्टालेशन)		43,64	..	..	43,64	तदैव	39न
	योग,	43,98	..	..	43,98		

अनुदान संख्या–38

नागरिक उड्डयन विभाग

राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय के लेखे की आन्तरिक सम्परीक्षा हेतु सम्परीक्षकों के पदों का सृजन

राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय उत्तर प्रदेश के अधीन विमानों आदि के पुर्जों के क्रय हेतु विदेशी फर्मों को भुगतान करने में एक विशिष्ट प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है और भुगतान आदि त्वरित गति से करने पड़ते हैं। इन त्वरित गति से होने वाले भुगतानों में कोई त्रुटि न होने पाये, इस उद्देश्य से लेखाओं की सम्परीक्षा हेतु वरिष्ठ सम्परीक्षक तथा सम्परीक्षक का एक–एक पद सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इन पदों के सृजन पर वर्ष 1987–88 में 34,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। तद्नुसार इस प्रयोजन हेतु आय व्ययक में 34,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2–– व्यय का विभाजन––

अपेक्षित कर्मचारिवर्ग––

क्रम-सं0	पद	वेतन क्रम	पदों की संख्या
		रु0	
1––	वरिष्ठ सम्परीक्षक	625–1240	1
2––	सम्परीक्षक	570–1100	1

3––आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन––

(हजार रुपयों में)

2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–आयोजनेतर––		
114––परिवहन की खरीद और अनुरक्षण		
01––वेतन		14
02––महंगाई भत्ता		11
03––यात्रा व्यय		5
04––अन्य भत्ते		4
	योग	34

राजकीय हेलीकाप्टर हेतु आई0एफ0आर0 सिस्टम का क्रय एवं अधिष्ठापन (इंस्टालेशन)

राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय के हेलीकाप्टर को विशिष्ट व्यक्तियों की रात्रि उड़ान सुनिश्चित करने के लिये रात्रि उड़ान योग्य बनाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है, जिसके लिये मेसर्स हेली यूनियन फ्रांस से आई0 एफ0 आर0 सिस्टम क्रय करने तथा इंस्टालेशन कराये जाने का प्रस्ताव है। उक्त उपकरण स्थापित कराये जाने में 43,64,000 रु0 की धनराशि का व्यय होने का अनुमान है। अतः वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में 43,64,000 रुपये धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है।

2––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन––

(हजार रुपयों में)

2070––अन्य प्रशासनिक सेवायें–आयोजनेतर–	
114–परिवहन की खरीद और अनुरक्षण–	
01–वायुयानों का क्रय–	
33–अन्य व्यय––	
राजकीय हेलीकाप्टर हेतु आई0 एफ0 आर0 सिस्टम का क्रय एवं इंस्टालेशन	43,64,

---

न्याय विभाग

वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें आयोजनेतर

क्र० सं०	योजना का नाम	1987-88 में व्यय (हजार रुपयों में) राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय पूंजीगत	ऋण	योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1987-88 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी निर्देश पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1--	देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल एवं अल्मोड़ा के चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों एवं अन्य न्यायिक अधिकारियों के प्रयोगार्थ 5 पेट्रोल जीप गाड़ियों का क्रय	5,91	..	..	5,91	2014--न्याय प्रशासन	43 न
2--	तहसील मुख्यालयों पर स्थित न्यायालयों के वरिष्ठतम अधिकारियों को कार्यालय एवं आवासीय टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराया जाना	6,34	..	..	6,34	.. तदेव	44 न
3--	प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों/ तहसील मुख्यालयों पर स्थित न्यायालयों हेतु वाटर कूलर (जल शीतक) की व्यवस्था	5,94	..	..	5,94	.. तदेव	44 न
4--	प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों के नजारत व जिला जजियों के परिसर के बाहर के लिए एक-एक स्थित न्यायालयों आयरन सेफ की व्यवस्था	4,08	..	..	4,08	.. तदेव	44 न
5--	प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों के लिये स्टील आल्मारियों एवं विद्युत चालित डुप्लीकेटिंग मशीनों का क्रय	9,14	..	..	9,14	.. तदेव	45 न
6--	पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 के अधीन जनपद अलीगढ़ तथा गोरखपुर में एक-एक पारिवारिक न्यायालय की स्थापना	5,50	..	..	5,50	.. तदेव	45-46 न
7--	जिला जजी बिजनौर के पीठासीन अधिकारियों के आवसिक भवनों का पुर्नविद्युतीकरण	25	..	..	25	2216--आवास	46 न
8--	जनपद लखनऊ, कानपुर, जालौन तथा बिजनौर के अधीनस्थ न्यायालय कक्षों का पुर्नविद्युतीकरण	..	5,97	..	..	4059--सरकारी 5,97 निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	47 न
9--	महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय के लिये वाटर कूलर तथा एक फोटो कापिंग मशीन का क्रय	1,07	..	..	1,07	.. 2014--न्याय प्रशासन	47 न
10--	महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय में इन्टरकाम कनेक्शन की व्यवस्था	1,53	..	..	1,53	.. तदेव	47-48 न
11--	उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा उसकी खण्डपीठ लखनऊ में माननीय न्यायधीशों के कक्षों में तथा उच्च न्यायालय के अनुभागों में इन्टर काम कनेक्शन की व्यवस्था	10,24	..	..	10,24	.. तदेव	48 न
12--	न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के लिए उपकरणों का क्रय	1,38	..	..	1,38	.. तदेव	48-49 न
13--	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद और खण्डपीठ लखनऊ के लिये उपकरणों का क्रय	2,14	..	..	2,14	.. तदेव	49 न
14--	विधि कोष्ठक उत्तर प्रदेश भवन नई दिल्ली के लिये एक फोटो कापियर मशीन का क्रय	63	..	..	63	2052--सचिवालय सामान्य सेवायें	50 न
15--	इलाहाबाद उच्च न्यायालय को इनडिपेन्डेण्ट फीडर लाइन से जोड़ा जाना	21,72	..	..	21,72	2014--न्याय प्रशासन	50 न
	योग	75,87	5,97	..	81,84		

अनुदान संख्या–42

न्याय विभाग

देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल एवं अल्मोड़ा के चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेटों एवं अन्य न्यायिक अधिकारियों के प्रयोगार्थ 5 पेट्रोल जीप गाड़ियों का क्रय

गढ़वाल तथा कुमायूं मंडल के पांच पर्वतीय जिलों देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल तथा अल्मोड़ा की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुये तथा वहां की वादकारी जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुये इन जिलों में नियुक्त चीफजुडिशियल मजिस्ट्रेटों तथा मुंसिफ मजिस्ट्रेटों को अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत उन तहसील मुख्यालयों आदि स्थानों पर जहां उनके बैठने का स्थान घोषित होता है, वादों के निस्तारण हेतु जाना पड़ता है। पर्वतीय जिलों में यातायात के सुगम साधन उपलब्ध न होने के कारण एवं वहां के विकट मार्गों एवं दूरी को ध्यान में रखते हुये प्रस्तावित है कि इन पांचों पर्वतीय जिलों के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेटों एवं मुंसिफ मजिस्ट्रेटों के उपयोगार्थ 4,85,000 रुपये की लागत पर 5 पट्रोल जीप गाड़ियों का क्रय कर लिया जाय, ताकि वे अन्तरांचल क्षेत्रों में जाकर वहीं पर वादों का निस्तारण कर सकें। इन पांच पेट्रोल जीप गाड़ियों के संचालन हेतु जीप चालकों के पांच अस्थायी पद भी सृजित किये जायेंगे। इन पेट्रोल जीप गाड़ियों के क्रय एवं जीप चालकों के पदों के सृजन आदि पर कुल 5,91,000 रुपये (4,85,900 रु0 अनावर्तक तथा 1,06,000 रु0 आवर्तक) का व्यय अनुमानित है। अतः वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में 5,91,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2––व्यय का विभाजन––

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग––

क्रम सं0	पद	वेतन मान	पदों की संख्या
		रु0	
1	जीप चालक (ड्राइवर)	330–495	5

(ख) साज-सज्जा/भंडार/मशीन/गाड़ियों आदि के स्थूल ब्योरे––

	मद	धनराशि (1987–88)
		रुपये
(क)	भारत में क्रय की जाने वाली सामग्री का विवरण–– पांच पेट्रोल जीप गाड़ियां	4,85,000

3––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन––

2014–न्याय प्रशासन–आयोजनेतर–

103–दंडन्यायालय–

01–नियमित अधिष्ठान––

(हजार रुपयों में)

01––	वेतन	20
03––	महंगाई भत्ता	18
04––	वाहन भत्ता	20
05––	अन्य भत्ते	5
08––	मोटर गाड़ियों का क्रय	4,85
09––	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद	38
32––	अन्तरिम सहायता	5
	योग ..	5,91

तहसील मुख्यालयों पर स्थित न्यायालयों के वरिष्ठतम अधिकारियों को कार्यालय एवं आवासीय टेलीफोनों की सुविधा उपलब्ध कराया जाना

तहसील मुख्यालयों पर स्थित न्यायालयों को जिला मुख्यालयों पर जिला जज आदि से सम्पर्क स्थापित करने में अत्यधिक कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त न्यायालयों में विवाद उत्पन्न हो जाने पर शान्ति और व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। अतः तहसील मुख्यालयों पर स्थित न्यायालयों को संचार सुविधा उपलब्ध कराया जाना नितांत आवश्यक हो गया है। इस प्रकार प्रदेश के 52 तहसील मुख्यालयों पर स्थित न्यायालयों के वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारियों के कार्यालय तथा आवास पर टेलीफोनों की स्वीकृति के लिये 6,34,000 रुपये की अनुमानित लागत पर व्यय किये जाने का प्रस्ताव है। उक्त प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में 6,34,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2014—न्याय प्रशासन—आयोजनेतर—
105—सिविल और सत्र न्यायालय—
04—मुंसिफ—
07—टेलीफोन पर व्यय 6,34

प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों/तहसील मुख्यालयों पर स्थित न्यायालयों हेतु वाटर कूलर (जलशीतक) की व्यवस्था

प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों/तहसील मुख्यालय में ग्रीष्मकाल में ठंडे पानी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण वादकारी जनता, अधिवक्ताओं, न्यायालय के कर्मचारियों/अधिकारियों को, अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है। जिला जजों के कार्यालयों में ग्रीष्मकाल में ठंडा पानी उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से विगत वित्तीय वर्ष 1985–86 में 150 वाटरकूलरों (जल-शीतकों) की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। अब जिला जजी टेहरी गढ़वाल के लिये 2 एवं तहसील मुख्यालयों पर स्थित न्यायालयों के लिये 34 अर्थात् कुल 36 वाटर कूलरों (जलशीतकों) का 5,94,000 रु0 की अनुमानित लागत पर क्रय किये जाने का प्रस्ताव है, अतएव इस प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में 5,94,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2014—न्याय प्रशासन—
105—सिविल और सत्र न्यायालय—
01—जिला तथा सेशन न्यायाधीश
06—कार्यालय व्यय 5,94

प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों के नजारत और जिला जजियों के परिसर के बाह्य स्थित न्यायालयों के लिये एक-एक आयरन सेफ की व्यवस्था

प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों के नजारत व जिला जजियों के परिसर क बाहर स्थित न्यायालयों में बहुमूल्य वस्तुये, नकद धनराशि इत्यादि सुरक्षित रखने में अत्यन्त असुविधा होती है, अतएव उक्त प्रयोजन हेतु न्ययालयों के लिये 68 आयरन सेफ 6,000 रुपये प्रति सेफ की दर से 4,08,000 रुपये की अनुमानित लागत पर उपलब्ध कराय जाने का प्रस्ताव है। तद्नुसार इस प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में 4,08,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2014—न्याय प्रशासन—आयोजनेतर—
105—सिविल और सत्र न्यायालय—
01—जिला तथा सेशन न्यायाधीश—
06—कार्यालय व्यय 4,08

प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों के लिये स्टील अलमारियों एवं विद्युत चालित डुप्लीकेटिंग क्रय मशीनों का

प्रदेश के दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों में लम्बित वादों के अभिलेखों एवं पत्रावलियों की सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से रखने में अत्याधिक असुविधा हो रही है, क्योंकि लम्बित पत्रावलियों की संख्या उपलब्ध अलमारियों से कहीं अधिक है। इन अभिलेखों एवं पत्रावलियों को सुरक्षित ढंग से रखने के लिये 7,44,000 रुपये की अनुमानित लागत पर 465 स्टील अलमारियों के क्रय किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त जिला जजों द्वारा पारित आदेशों, शासनादेशों, उच्च न्यायालय के परिपत्रों, बैठकों आदि की कार्यवाही की प्रतिलिपियां शीघ्रता से तैयार करानी पड़ती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये 1,70,000 रुपये की अनुमानित लागत पर 17 विद्युत चालित डुप्लीकेटिंग मशीनों के क्रय किय जाने का भी निर्णय लिया गया है। उक्त दोनों ही प्रयोजनों के लिये वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में 9,14,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन––

(हजार रुपयों में)

2114–न्याय प्रशासन–आयोजनेतर–105–सिविल और सत्र न्यायालय–01–जिला तथा सेशन न्यायाधीश–06––कार्यालय व्यय 9,14

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के अधीन जनपद अलीगढ़ तथा गोरखपुर में एक-एक पारिवारिक न्यायालय की स्थापना

संसद द्वारा पारित पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 उत्तर प्रदेश में 2 अक्तूबर, 1986 से लागू कर दिया गया है। इसके अधीन शासन द्वारा प्रदेश के 16 जनपदों में पारिवारिक न्यायालय कई चरणों में स्थापित किये जा रहे ह। प्रथम चरण में कानपुर नगर और लखनऊ में एक-एक पारिवारिक न्यायालय स्थापित कर दिये गये हैं। द्वितीय चरण में अब आगामी वित्तीय वर्ष 1987–88 में जनपद अलीगढ़ तथा गोरखपुर में एक-एक पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव है तदनुसार इन दोनों ही जनपदों में एक–एक पारिवारिक न्यायालय की स्थापना के लिये वर्ष 1987–88 आय व्ययक में 5,50,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। व्यय की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब कानपुर नगर तथा लखनऊ में स्थापित किये गये दो पारिवारिक न्यायालयों की प्रगति का मूल्यांकन करा लिया जायेगा।

2––व्यय का विभाजन––

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग––

क्रम सं0	पद	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु0	
1	जज	2,300–2,700	2
2	काउन्सलर (परामर्शदाता)	2,000 नियत मासिक वेतन	2
3	सदर मुंसरिम	625–1,360	2
4	आशुलेखक	570–1100	2
5	रीडर	470–735	2
6	वाद लिपिक (भरण–पोषण लिपिक)	430–685	2
7	निष्पादन लिपिक (संरक्षा दाता लिपिक)	430–685	2
8	लेखा लिपिक	430–685	2
9	टंकक प्रतिलिपिक	354–550	2
10	अर्दली	305–390	2
11	कार्यालय चपरासी	305–390	2
12	न्यायालय चपरासी	305–390	2
13	संदेश वाहक	305–390	4
14	चौकीदार	305–390	2
15	स्वीपर कम फर्रास	305–390	2

(ख) साज-सज्जा, मशीनें, भंडार आदि के स्थूल ब्योरे---

मद	संख्या	धनराशि
		रुपये
1---टाइपराइटर मशीनें- (अनावर्तक)	4	20,000
2---विधि पुस्तकें (5,000 प्रति न्यायालय)		10,000
3---उपस्कर (15,000. रुपये प्रति न्यायालय) (अनावर्तक)		30,000
(i)---लोहे की अलमारियां (अनावर्तक)	4	8,000
(ii) दरियां	4	1,000
(iii) साइकिलें	4	2,000
(iiii) दीवाल घड़ियां	4	1,000
4---प्रासंगिक व्यय (रुपये 1,000 प्रति न्यायालय)		2,000
योग		74,000

3---आय-व्ययक में सम्मिलित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:---

(हजार रुपयों में)

2014---न्याय प्रशासन---आयोजनेतर

105---सिविल और सत्र न्यायालय---

07---पारिवारिक न्यायालय -

01---वेतन	1,60
03---महंगाई भत्ता	1,28
04---यात्रा व्यय	18
05---अन्य भत्ते	10
06---कार्यालय व्यय	92
07---टेलीफोन पर व्यय	36
11---किराया, उपशुल्क और कर	72
32---अन्तरिम सहायता	24
33---अन्य व्यय	4
योग ..	5,50

जिला जजी बिजनौर के पीठासीन अधिकारियों के आवासिक भवनों का पुर्नविद्युतीकरण।

जिला जजी बिजनौर के पीठासीन अधिकारी के आवास भवन की विद्युत वायरिंग, काफी खराब हो गई है जिससे दुर्घटना होने की आशंका रहती है। अतः जिला बिजनौर के पीठासीन अधिकारी के आवास का 25,000 रु० की लागत पर पुर्नविद्युतीकरण कराये जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार इस प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय व्ययक में 25,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2---आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन---

(हजार रुपयों में)

2216---आवास---आयोजनेतर

01---सरकारी रिहायशी इमारतें (मतदेय)-

700---अन्य आवास---न्याय प्रशासन---जिला जजी बिजनौर के आवासिक भवनों का पुर्नविद्युतीकरण---

19---लघु निर्माण कार्य 25

जनपद लखनऊ कानपुर, जालौन तथा बिजनौर के अधीनस्थ न्यायालय कक्षों का पुनर्विद्युतीकरण

प्रदेश के कतिपय अधीनस्थ न्यायालयों के अनावासिक भवनों की विद्युत वायरिंग खराब हो गई है, जिससे दुर्घटना होने की आशंका रहती है। अतः 5,80,900 रुपये की कुल अनुमानित धनराशि पर लखनऊ, कानपुर, जालौन तथा बिजनौर जनपदों के अधीनस्थ न्यायालय कक्षों का पुनर्विद्युतीकरण कराये जाने का प्रस्ताव है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में उक्त प्रयोजन हेतु 5,97,000 रुपये की व्यवस्था कर दी गई है।

2––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन––

"4059––सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय–आयोजनेतर–

60–अन्य इमारतें–न्याय प्रशासन–051–निर्माण–जनपद लखनऊ, कानपुर, जालौन तथा बिजनौर में न्याय प्रशासन के अधीनस्थ न्यायालय कक्षों का पुनर्विद्युतीकरण"––

(हजार रुपयों में)

10––लघु निर्माण कार्य 5,97

महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय के लिए एक जल शीतक (वाटर कूलर) तथा एक फोटो कापियर मशीन का क्रय

इलाहाबाद में स्थित महाधिवक्ता के कार्यालय में जल शीतक (वाटर कूलर) तथा फोटोकापियर मशीन न होने के कारण विगत कई वर्षों से असुविधा हो रही है। अतएव उक्त कार्यालय के लिये एक वाटर कूलर क्रय करने के लिये 17,000 रुपये तथा एक फोटो कापियर मशीन क्रय करने के लिये 90,000 रु० की धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। तदनुसार इस प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में 1,07,000 रुपये की व्यवस्था कर दी गई है।

2––व्यय का विभाजन:––

साज-सज्जा/भंडार/मशीनें, उपकरण आदि के स्थूल ब्योरे––

मद	संख्या	धनराशि
		रु०
भारत में क्रय की जाने वाली सामग्री का विवरण––		
1––वाटर कूलर	1	17,000
2––फोटो कापियर मशीन	1	90,000
योग		1,07,000

3––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:––

(हजार रुपयों में)

"2014–न्याय प्रशासन–आयोजनेतर––

114–कानूनी सलाहकार और परिषदें :––

01– महाधिवक्ता––

06––कार्यालय व्यय 1,07

महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय में इन्टरकाम कनेक्शन की व्यवस्था

महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश का कार्यालय जिसमें राज्य विधि अधिकारी तथा शासकीय अधिवक्ता के कार्यालय भी सम्मिलित हैं, उच्च न्यायालय की बहुमंजिली इमारत के तीन मंजिलों के बीस कमरों तथा दो लकड़ी के केबिनों में स्थापित हैं। इतने बड़े स्टाफ के लिये उपरोक्त कार्यालयों में कुछ दो ही स्वतन्त्र टेलीफोन उपलब्ध हैं, जिसके फलस्वरूप शासकीय कार्य में एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाकर सम्पर्क करने में अत्यधिक कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में यह प्रस्तावित है कि उक्त कार्यालयों में 31 लाइन लगा कर इन्टरकाम एक्सचेंज डायलिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी जाये। इस प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 1987–88 में कुल 1,53,000 रुपये की आवश्यकता होगी। तदनुसार वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में 1,53,000 रु० की व्यवस्था कर दी गई है।

2—व्यय का विभाजन:—

साज सज्जा/भंडार/मशीनें उपकरण आदि के स्थूल ब्योरे—

मद	संख्या	धनराशि (हजार रुपयों में)
(क) भारत में क्रय की जाने वाली सामग्री का विवरण—		
1—इन्टरकाम (अपट्रान टाकमैन)	31 व्वाइंट	1,53

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:—

(हजार रुपयों में)

2014—न्याय प्रशासन—आयोजनेतर—
114—कानूनी सलाहकार और परिषद—
01—महाधिवक्ता—
06—कार्यालय व्यय 1,53

उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा उसकी खण्डपीठ लखनऊ में माननीय न्यायाधीशों के कक्षों में तथा उच्च-न्यायालय के अनुभागों में इन्टरकाम कनेक्शन की व्यवस्था

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा उसके खण्डपीठ लखनऊ में माननीय न्यायाधीशों के कक्षों तथा उच्च न्यायालय के अनुभागों में इन्टरकाम की व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण माननीय न्यायाधीशों को अपने कक्ष में अधिकारियों और कर्मचारियों से सम्पर्क करने एवं उन्हें निदेश देने अथवा अभिलेख प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है और गोपनीय आदेश आदि के विदित हो जाने का भय भी निरन्तर बना रहता है। अतएव इन कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से प्रश्नगत स्थानों पर इन्टरकाम कनेक्शन लगाने का प्रस्ताव है। इस व्यवस्था पर कुल 10,24,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार इस प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में 10,24,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—व्यय का विभाजन—

साज/सज्जा/भण्डार/मशीनें, उपकरण आदि के स्थूल ब्योरे—

मद	संख्या	धनराशि
		रु0
(क) भारत में क्रय की जाने वाली सामग्री का विवरण:—		
अपट्रान-टाकमैन-उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	एक सेट–11/120 (लाइन्स एक्सटेन्शन) ..	6,84,000
अपट्रान टेलीकाम-उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ	एकसेट–11/48 (48 टेलीफोन इन्स्ट्रूमेन्ट्स) ..	3,40,000
	योग ..	10,24,000

3—आय-व्ययक में सम्मिलित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:—

(हजार रुपयों में)

2014—न्याय प्रशासन—आयोजनेतर—
102—उच्च न्यायालय—
01—उच्च न्यायालय—
06—कार्यालय व्यय– (भारित) *10,24*

न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के लिये उपकरणों का क्रय

न्यायिक अधिकारियों, विधि अधिकारियों तथा शासकीय अधिवक्ताओं तथा लोक अभियोजकों के प्रशिक्षण तथा न्याय प्रशासन और विधि के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य हेतु स्थापित किये गये न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के लिये निम्नलिखित उपकरणों को उनके सामने अंकित लागत से क्रय करने का प्रस्ताव है:—

		रु0
1—वाटर कूलर	4	52,000
2—रेफ्रीजरेटर	2	24,000
3—जनरेटर	1	30,000
4—इन्टरकाम कनेक्शन	12 ..	32,000

उक्त उपकरणों के लिये आगामी वित्तीय वर्ष में 1,38,000 रुपये की आवश्यकता होगी। तदनुसार वर्ष 1987-88 के आय, ग्यक में 1,38,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--व्यय का विभाजन:--

साज-सज्जा/भण्डार/मशीनें, उपकरण आदि के स्थूल ब्योरे--

मद					संख्या	धनराशि
(क) भारत में खरीदी जाने वाली सामग्री का विवरण--						
1--जल शीतक (वाटर कूलर)	..	..	..	..	4	52,000
2--रेफ्रीजरेटर	..	..	..	..	2	24,000
3--जनरेटर	..	..	..	..	1	30,000
4--इन्टरकाम कनेक्शन					12	32,000
					योग ..	1,38,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

(हजार रुपयों में)

2014--न्याय प्रशासन--आयोजनेतर--

800--अन्य व्यय--

01--न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान--

06--कार्यालय व्यय 1,38

उच्च न्यायालय इलाहाबाद और खण्डपीठ लखनऊ के लिये उपकरणों का क्रय

न्याय तथा विधान सम्बन्धी स्थायी समिति की बैठक दिनांक 3 मई, 1986 में की गयी संस्तुतियों को दृष्टि में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय के प्रयोग हेतु निम्नलिखित इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर का क्रय करने तथा दो कोर्ट रूम व चार चेम्बर्स में एअर कन्डीशनर्स (विन्डोटाइप) लगाये जाने का प्रस्ताव है:--

				रु0
1--द्विभाषीय इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर (हिन्दी अंग्रेजी)--2		..	..	68,000
2--इलेक्ट्रानिक अंग्रेजी टाइपराइटर--2	..	..	..	36,000
3--एअर कन्डीशनर्स (विन्डोटाइप)--4	..	..	..	1,10,000

उक्त इलेक्ट्रानिक टाइपराइटरों व एअर कन्डीशनरों के क्रय के लिये वित्तीय वर्ष 1987-88 में 2,14,000 रुपये की आवश्यकता है। तदनुसार वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में 2,14,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है:--

2--व्यय का विभाजन--

ख--साज-सज्जा/भण्डार/मशीनें, उपकरण आदि के स्थूल ब्योरे--

मद			संख्या		धनराशि
(क) भारत में क्रय की जाने वाली सामग्री का विवरण--					रु0
1--द्विभाषीय इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर	..	..	2	..	68,000
2--इलेक्ट्रानिक अंग्रेजी टाइपराइटर	..	..	2	..	36,000
3--एअर कन्डीशनर्स (विन्डोटाइप)--	..	..	4	..	1,10,000
				योग ..	2,14,000

3--आय-व्ययक में सम्मिलित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2014--न्याय प्रशासन--आयोजनेतर--

102--उच्च न्यायालय--

01--उच्च न्यायालय--

06--कार्यालय व्यय (भारित) 2,14

विधि कोष्ठक उत्तर प्रदेश भवन नई दिल्ली के लिये एक फोटो कापियर मशीन का क्रय

शासन के न्याय विभाग के नियंत्रणाधीन उच्चतम न्यायालय, विधि कोष्ठक, उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली में कार्यालय के प्रयोग हेतु उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय, रिट याचिका तथा विशेष अनुज्ञा याचिका की प्रति, शपथ पत्र, केन्द्रीय बिल, विधेयक, अध्यादेश, नियमों, विज्ञप्तियों तथा अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों की प्रतिलिपियां अविलम्ब तैयार कराने के उद्देश्य से एक फोटोकापियर मशीन क्रय करने का प्रस्ताव है। उक्त फोटो कापियर मशीन के क्रय के लिये आगामी वित्तीय वर्ष 1987–88 में 63;000 रुपये की आवश्यकता होगी। तदनुसार वर्ष 1987–88 के आय–व्ययक में 63,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

2––व्यय का विभाजन––

ख––साज-सज्जा/भण्डार/मशीनें, उपकरण आदि के स्थूल ब्योरे––

मद	संख्या	धनराशि
(क) भारत में क्रय की जाने वाली सामग्री का विवरण––		रु०
फोटो कापियर मशीन का क्रय	1	63,000

3––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन–– (हजार रुपयों में)

"2052––सचिवालय सामान्य सेवायें–आयोजनेतर––

091––सम्बद्ध कार्यालय––

01––विधि कोष्ठक नई दिल्ली पर होने वाला व्यय–– .. 63

06––कार्यालय व्यय––

इलाहाबाद उच्च न्यायालय को इनडिपेन्डेन्ट फीडर लाइन से जोड़ा जाना

उच्च न्यायालय इलाहाबाद में बिजली की निरन्तर आपूर्ति न होने के कारण बहुधा न्यायालय कक्षों तथा कार्यालय कक्षों में अन्धकार छा जाता है जिससे कार्य संचालन में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विद्युत की नियमित आपूर्ति बनाये रखने के उद्देश्य से इलाहाबाद उच्च न्यायालय को इंडीपेन्डेन्ट फीडर लाइन से जोड़ने का प्रस्ताव है, जिस पर 21,72,000 रुपये का व्यय निहित है। तदनुसार उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इंडीपेन्डेंट फीडर लाइन से जोड़ने के लिये 21,72,000 रु० की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में कर ली गई है।

2––व्यय का विभाजन––

साज-सज्जा/मशीन/भण्डार, उपकरण आदि के स्थूल ब्योरे––

मद	संख्या	धनराशि (रुपयों में)
(क) भारत में क्रय की जाने वाली सामग्री का विवरण––		
इलाहाबाद, उच्च न्यायालय को इन्डीपेन्डेन्ट फीडर लाइन से जोड़ा जाना		21,72,000

3––आय-व्ययक में सम्मिलित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन––

(हजार रुपयों में)

2014––न्याय प्रशासन–आयोजनेतर––

102––उच्च न्यायालय––

01––उच्च न्यायालय––

18––मुख्य निर्माण कार्य (भारित) 21,72

प्राविधिक शिक्षा विभाग

वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनेतर)

क्र0-सं0	योजना का नाम	1987–88 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1987–88 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1—	राजकीय एवं सहायता प्राप्त पालिटेक्निकों के अनुरक्षण व्यय में वृद्धि	64,00	..	..	64,00	2203–तकनीकी शिक्षा	53 न
2—	प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय भवनों के भूतल में नई वायरिंग की व्यवस्था	..	1,36	..	1,36	4202–शिक्षा खेल, कला व संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	53 न
	योग,	64,00	1,36	..	65,36		

अनुदान संख्या--46

प्राविधिक शिक्षा विभाग

राजकोय एव सहायता प्राप्त पालीटेकनिक में अनुरक्षण व्यय में वृद्धि

प्रदेश में स्थित सभी राजकीय एवं सहायता प्राप्त पालीटेकनिकों में अनुरक्षण व्यय 165 रु0 प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से दी जा रही है। यह दर लगभग 15 वर्ष पुरानी है और मूल्यों में निरन्तर वृद्धि को देखते हुए, बहुत ही कम है। मार्च 1983 में सभी राज्यों एवं यूनियन टेरीटेरीज के प्राविधिक शिक्षा विभाग के सचिवों की नई दिल्ली में हुई बैठक में यह अनुभव किया गया कि उपरोक्त ग्रांट को बढ़ाकर 500 रु0 की धनराशि प्रति छात्र प्रति वर्ष कर दी जाय क्योंकि पूर्व में स्वीकृत दर 165 रु0 से छात्रों को समुचित प्रशिक्षण व्यवस्था किया जाना संभव नहीं है। प्रशिक्षण हेतु उपयोग में आने वाली सामग्री--बिजली, पानी, केमिकल, गैस, कच्चा माल, माडेल में लगने वाले समान, कोयला, स्टेशनरी एवं प्रिंटिग पोस्टेज एंड टेलीग्राम आदि की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो गयी है। अतएव यह प्रस्तावित है कि प्रशिक्षण के हित में अनुरक्षण व्यय की दर 165 रु0 से बढ़ाकर 500 रु0 कर दी जाय। इस पर वर्ष 1987-88 में 64,00,000 रु0 के व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में 64,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकवार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2203- तकनीकी शिक्षा--आयोजनेतर--		
105- पालीटेकनिक--		
01--सामान्य पालीटेकनिक		
--23--अनुरक्षण		
2203--तकनीकी शिक्षा-आयोजनेतर	.. ..	40,35
104--गैर सरकारी तकनीकी कालेजों और संस्थाओं को सहायता-		
अनुदानित बहुधन्धी संस्थाओं के छात्रों के अनुरक्षण व्यय में वृद्धि--		
14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	.. ..	23,65
योग ..		64,00

अनुदान संख्या--74

प्राविधिक शिक्षा विभाग

प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय भवनों के भूतल में नई वायरिंग की व्यवस्था

प्राविधिक शिक्षा परिषद् के मुख्य भवन तथा एक अन्य भवन के भूतल की विद्युत वायरिंग काफी पुरानी हो गयी है अतः पुरानी विद्युत वायरिंग को नये सिरे से निर्धारित दरों पर 1,36,200 रु0 की लागत से कराये जाने का प्रस्ताव है। इस कार्य हेतु आय-व्ययक वर्ष 1987-88 में 1,36,200 रु0 की आवश्यकता होगी। तदनुसार आय-व्ययक में 1,36,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

4202--शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय--आयोजनेतर--	
02--तकनीकी शिक्षा--800--अन्य व्यय--	
01--भवन निर्माण--तकनीकी शिक्षा भवन--	
प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय भवनों के भूतल में नये सिरे से वायरिंग,	1,36,

राज्य सम्पत्ति विभाग

वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें (आयोजनेतर)

क्र० सं०	योजना का नाम	1987–88 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1987–88 के आय-व्ययक में प्राविधान साम्मलित किया गया है।	टिप्पणी निर्देश का पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1—उत्तर प्रदेश निवास एवं उत्तर प्रदेश भवन नई दिल्ली में स्थापित वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंज के स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की स्थापना	14,24	..	..	14,24	2052—सचिवालय सामान्य सेवायें।	57 न
2—राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न इकाईयों में अतिरिक्त पदों की व्यवस्था।	20,00	..	..	20,00	तदैव	
						57, 58 न
योग	34,24			34,24		

अनुदान संख्या–82

सचिवालय प्रशासन विभाग

उत्तर प्रदेश निवास एवं उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली में स्थापित वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंज के स्थान पर इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

उत्तर प्रदेश निवास तथा उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली में इस समय मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंज होने के कारण आने वाले अतिथियों (मंत्रिपरिषद के सदस्य, माननीय विधान मण्डल के सदस्य एवं प्रदेश सरकार के अधिकारीगण आदि) को टेलीफोन के सही ढंग से काम न करने के कारण कठिनाई उत्पन्न होती है। वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंज के सही काम न करने का मुख्य कारण वर्तमान केबिल्स का कमजोर होना है। इलेक्ट्रानिक टेलीफोन ऐक्सचेंज लगाये जाने से केवल एक टेलीफोन यंत्र से भी प्रत्येक कमरे में सभी कार्य जैसे इन्टरकाम, एक्सचेंज लाइन, एस0 टी0 डी0 आदि हो सकेंगे तथा टेलीफोन मिलने में कम समय लगेगा एवं व्यय में कमी आयेगी। टेलीफोन आपरेटर के पद यदि सरपल्स पाये जायेंगे तो उन्हें अन्यत्र खपाये जाने के बारे में यथासमय विचार कर लिया जायेगा। अतः यह प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश निवास तथा उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली में वर्तमान मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंज के स्थान पर इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की व्यवस्था की जाय। उत्तर प्रदेश निवास में 48 लाईन तथा उत्तर प्रदेश भवन में 96 लाईन के इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना पर विभिन्न मदों में क्रमशः 5,85,000 रु0 एवं 8,39,000 रु0 अर्थात कुल 14,24,000 रु0 का अनावर्तक व्यय चालू वित्तीय वर्ष 1987–88 में निहित है। इसके अतिरिक्त एक वर्ष व्यतीत होने पर इन दोनों इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज के रख-रखाव पर 85,000 रु0 का आवर्तक व्यय होने की सम्भावना है। जिसके लिये अभी से व्यवस्था किये जाने की आवयश्यकता नहीं है। तदनुसार चालू वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में 14,24,000 रु0 की धनराशि सम्मिलित कर ली गयी है। वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंज में लगे हुए टेलीफोन आपरेटरों को खपाये जाने तथा उत्तर प्रदेश भवन एवं उत्तर प्रदेश निवास में लगे हुए मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंज को डाक-तार विभाग को वापस करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही बाद में की जायेगी। योजना की स्वीकृति वित्त विभाग में परीक्षणोपरान्त दी जायगी।

2—आय-व्ययक मे व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2052—सचिवालय—सामान्य सेवायें—आयोजनेतर—

090—सचिवालय—

01—सचिवालय मुख्य—

07—टेलीफोन पर व्यय 14,24

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न इकाइयों में अतिरिक्त पदों की व्यवस्था

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश भवन/निवास, अतिथि गृह कलकत्ता/नैनीताल क्लब एवं विभिन्न विधायक निवासों में कार्य को सुचारु रूप से चलाये जाने हेतु अतिरिक्त पदों की नितान्त आवश्यकता है। अतिरिक्त पदों के अभाव में उक्त इकाइयों में कार्य में प्रायः व्यवधान उत्पन्न होता है और माननीय विधायकों को एवं अन्य गणमान्य लोगों को कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। समस्या के सांगोपांग विवेचनोपरान्त यह प्रस्ताबित है कि राज्य सम्पत्ति विभाग में निम्नलिखित राजपत्रित एवं अराजपत्रित अतिरिक्त पद सृजित किये जायं। अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते आदि पर इस निमित्त होने वाले व्यय के लिये वित्तीय वर्ष 1987–88 में आय-व्ययक में प्राविधान उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1987 88 में उक्त व्यय हेतु अनुमानतः 20,00,000 रुपये की आवश्यकता है। तदनुसार 1987–88 के आय-व्ययक में 20,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गई है। स्वीकृति परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—व्यय का विभाजन—

अपेक्षित कर्मचारि वर्ग—

क्रमांक	पद	वेतन-क्रम	पद की संख्या
		रु0	
1	उपसचिव	1540-2200	1
2	प्रवर वर्ग सहायक	570-1100	1
3	अवर वर्ग सहायक	470-735	2
4	स्टोर कीपर	354-550	6
5	काउन्टर क्लर्क	354 550	12
6	टेलीफोन आपरेटर	354-550	4
7	फ्लोर सुपरवाइजर	400 615	2

8	स्वागतकर्त्ता	400-615	1
9	टेलीफोन मानीटर	400-615	1
10	वरिष्ठ सहायक	430-685	1
11	कनिष्ठ सहायक	354-550	2
12	व्यवस्थापक	470-735	3
13	व्यवस्थापक अधिकारी	625-1240	1
14	चालक (ड्राइवर)	330-495	6
15	रसोइया (कुक)	315-440	6
16	संदेश वाहक (मैसेन्जर)	315-440	1
17	तन्दूरमैन	305-390	2
18	चौकीदार	305-390	6
19	मसालची	305-390	21
20	बियरर	305-390	32
21	फर्राश	305-390	38
22	सफाई कर्मचारी (स्वीपर)	305-390	24
23	चपरासी	305-390	5
24	माली	305-390	2

3 आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन -- (हजार रुपयों में)

2052 --सचिवालय सामान्य सेवायें आयोजनेतर

090 -सचिवालय -

01 सचिवालय-मुख्य --

01 --वेतन		9,85
03 --महंगाई भत्ता		7,15
05 --अन्य भत्ते		1,3
32 --अन्तरिम सहायता		1,65
योग ..		20,00

राजस्व विभाग

वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें – (आयोजनेतर)

क्र० सं०	योजना का नाम	1987–88 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1987–88 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय				
			पूंजीगत	ऋण	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8
1–	अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के लिये डीजल जीपों का क्रय तथा चालकों के पदों का सृजन	43,00	..	..	43,00	2053 जिला प्रशासन	61 न
2–	प्रदेश की तहसीलों में पुराने फर्नीचर के स्थान पर नये फर्नीचर की व्यवस्था	10,00	..	..	10,00	2053 जिला प्रशासन	61 न
3–	लेखपाल स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अप्रशिक्षित लेखपालों के लिये छात्रवृत्ति की व्यवस्था	12,00	..	..	12,00	2029 भू राजस्व	62 न
	योग	65,00	..	..	65,00		

अनुदान संख्या—49

राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के लिये 31 डीजल जीपों का क्रय तथा उनके लिये चालकों के पदों का सृजन

प्रदेश के समस्त 46 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को वाहन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के निर्णय के अधीन के प्रभावकारी बनाने के लिये प्रशासनिक कार्य के सम्पादन में गतिशीलता एवं तत्परता लाने तथा उक्त पदों वित्तीय वर्ष 1986–87 में राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर के 15 डीजल जीपें क्रय करके इन अधिकारियों के शासकीय प्रयोगार्थ उपलब्ध कराई जा चुकी है। अब शेष 31 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के प्रयोगार्थ वाहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 31 डीजल जीपों (फोर व्हील ड्राइव) के क्रय तथा उनके लिये चालकों के 31 पद वेतनमान 330–495 रु0 में सृजित किये जाने की आवश्यकता है। इन जीपों के डीजल आयल व्यय के लिये भी धनराशि की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इन सब पर वित्तीय वर्ष 1987–88 में 43,00,000 रु0 (7,35,000 रु0 आवर्तक तथा 35,65,000 रु0 अनावर्तक) व्यय के का अनुमान है। तदनुसार 1987–88 के आय व्ययक में 43,00,000 रु0 की धनराशि सम्मिलित कर ली गई है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2053—जिला प्रशासन–अयोजनेतर–
093–जिला स्थापना
01—कलेक्टरी स्थापना—

01—वेतन	.. ..	2,70
03—महंगाई भत्ता	.. ..	2,64
08—मोटर गाड़ियों का क्रय	.. ..	35,65
09—गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	.. .. ..	1,55
32—अन्तरिम सहायता	.. ..	46
	योग ..	43,00

प्रदेश की तहसीलों के पुराने उपस्कर (फर्नीचर) के स्थान पर नये उपस्कर (फर्नीचर) की व्यवस्था

प्रदेश की तहसीलों में है उपलब्ध फर्नीचर काफी पुराना हो गया जिसको बदल कर उसके स्थान पर नये उपस्कर की व्यवस्था करने हेतु काफी समय से परिषद तथा जिलाधिकारियों द्वारा अनुरोध किया जाता रहा है। इसी प्रकार जनपद गाजियाबाद की स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी परन्तु स्थान की सुविधा न होने के कारण सारे अभिलेख अभी तक कलेक्ट्रेट मेरठ में रक्खे जाते रहे हैं। अब जनपद गाजियाबाद की कलेक्ट्रेट का अपना भवन बन गया है जिसके अभिलेखागार के लिये रैक्स का लगाया जाना अति आवश्यक है ताकि अभिलेखागार का कार्य सुचारुरूप से चल सके। इन दोनों मदों पर वित्तीय वर्ष 1987–88 में ल 10,00,000 रु0 के अनावर्तक व्यय का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1987–88 के व्ययक में 10,00,000 रु0 की की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षको के अनुसार विभाजन:—

(हजार रूपयो में)

2053 जिला प्रशासन-अयोजनेतर—
093-जिला स्थापना—
01-कलेक्ट्री स्थापना

05–कार्यालय व्यय	.. ..	5,00
2053 जिला प्रशासन अयोजनेतर-		
094-अन्य स्थापना–		
01—उप मंडल स्थापना मुख्य–		
06–कार्यालय, व्यय	.. ..	5,00
	योग ..	10,00

अनुदान संख्या—51

राजस्व विभाग राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय

लेखपाल स्कूलों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अप्रशिक्षित लेखपालों के लिए छात्र-वृत्ति की व्यवस्था

राजस्व विभाग में लेखपाल पदों पर कार्यरत अप्रशिक्षित लेखपालों की सेवाओं के विनियमतीकरण के लिये प्रस्ताव है कि ऐसे अप्रशिक्षित लेखपाल, जो दिनांक 1-6-1983 को तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों, को प्रशिक्षण हेतु लेखपाल स्कूलों में भेजा जाय तथा प्रशिक्षण की अवधि में उन्हें 220 रु0 प्रतिमाह, प्रति लेखपाल की दर से छात्र-वृत्ति दी जाय। वित्तीय वर्ष 1987–88 में इस मद में लगभग 12,00,000 रु0 का आवर्तक व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1987-88 के आय व्ययक में 12,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2- -आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजनर--

(हजार रु0 में)

"2029-भू-राजस्व-आयोजनेतर--

103-भू-अभिलेख--

02—जिला व्यय--

15---छात्र-वृत्तियां/छात्रवेतन 12,00

वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें (आयोजनेतर)

क्र0 सं0	योजना का नाम	1987–88 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1987–88 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पण निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखा का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1—	दुद्धी जिला मिर्जापुर उप–कोषागार के लिए नवीन भवन का निर्माण	..	6,70	..	6,70	4059–सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	65न
2—	वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ हेतु एक मेटाडोर कार एवं इन्टरकाम की व्यवस्था	3,18	..	..	3,18	2054–राजकोष और लेखा प्रशासन	65न
3—	विभागीय लेखा निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ में कतिपय अतिरिक्त पदों का सृजन	7,20	..	..	7,20	तदैव	66न
4—	प्रदेश के कतिपय कोषागारों में इन्टर-काम, कैश वाहन तथा कतिपय कोषा-गारों के वरिष्ठ कोषाधिकारियों को आवासीय टेलीफोन की सुविधा	3,74	..	..	3,74	तदैव	67न
5—	निदेशक कोषागार के अधीन चार क्षेत्रीय कार्यालयों-वाराणसी, मेरठ, बरेली और देहरादून, की स्थापना	4,55	..	..	4,55	तदैव	67–68न
	योग ..	18,67	6,70	..	25,37		

अनुदान संख्या–56

वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

दुद्धी, जिला मिर्जापुर उपकोषागार के लिये नवीन भवन का निर्माण

दुद्धी उपकोषागार, जिला मिर्जापुर का वर्तमान भवन बहुत पुराना तथा जीर्ण-क्षीर्ण हो गया है । अतः उक्त उपकोषागार हेतु नवीन भवन निर्माण की नितान्त आवश्यकता है। उक्त भवन निर्माण में 6,70000 रु0 का व्यय निहित है तदनुसार वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में 6,70,000 रु0 की धनराशि सम्मिलित कर ली गयी है।

2––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन––

(हजार रुपयों में)

4059–सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय––आयोजनेतर––
01–निर्माण कार्यालयों की इमारतें––
101–निर्माण–सामान्य पूल आवास––
02–कोषागार/उपकोषागार हेतु भवन का निर्माण
18––बृहत निर्माण कार्य 6,70

वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, उ0 प्र0, लखनऊ हेतु एक मेटाडोर कार एवं इण्टरकाम की व्यवस्था

वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, उ0 प्र0, लखनऊ में प्रशिक्षणार्थियों के छोटे समूह को व्यावहारिक ज्ञान दिलाने हेतु कोषागार, लखनऊ एवं अन्य कार्यालयों में ले जाने हेतु मेटाडोर कार के क्रय, प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारी/अधिकारियों के बीच सम्पर्क करने की सुगमता हेतु 28 लाइन वाले इन्टरकाम की व्यवस्था किये जाने तथा प्रशिक्षण संस्थान हेतु एक फोटो कापियर क क्रय का प्रस्ताव है । मेटाडोर कार तथा एक ड्राइवर की व्यवस्था पर वर्ष 1987–88 में कुल 1,21,000 रु0 प्रशिक्षण संस्थान में इण्टरकाम की व्यवस्था पर कुल 50,000रु0 तथा फोटो कापियर के क्रय पर कुल 1,47,000रु0 का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में कुल 3,18,000 रु0 (3,07000 रु0 अनावर्तक तथा 11,000 आवर्तक) की व्यवस्था कर ली गई है।

2––व्यय का विभाजन––

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग––

पद	वेतन-क्रम	पदों की संख्या
	रु0	
1––चालक (ड्राइवर)	330–495	1

(ख) गाड़ियों/मशीनें/उपकरण आदि के स्थूल ब्योरे––

मद	धनराशि
	रु0
1––मेटाडोर कार	1,10,000
2––इण्टरकाम एवं फोटो कापियर	1,97,000

3––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन––

2054––राजकोष और लेखा प्रशासन––आयोजनेतर––
003 प्रशिक्षण ––
01––वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान ––

(हजार रुपयों में)

01––वेतन	6
03––महंगाई भत्ता	2
05––अन्य भत्ते	1
08––मोटर गाड़ियों का क्रय	1,10
20––मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1,97
32––अन्तरिम सहायता	2
योग ..	3,18

विभागीय लेखा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में कतिपय आतरिक्त पदों का सृजन

प्रदेश के विभिन्न विभागों में लेखा रखने की वर्तमान व्यवस्था में सुधार लाने तथा उसकी बराबर तकनीकी देख-रेख करने, सभी विभागों की आन्तरिक सम्परीक्षा प्रणाली का निरीक्षण करने हेतु स्थापित किये गये विभागीय लेखा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में निम्नलिखित विवरण के अनुसार सुदृढ़ीकरण हेतु अतिरिक्त पदों के सृजन, कार्यालय उपकरण, वाहन तथा विशेष मरम्मत एवं सुसज्जीकरण की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है । इन मदों हेतु वर्ष 1987–88 में कुल 7,20,000 रु० (3,23,000रु० अनावर्तक तथा3,97,000 आवर्तक) व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष1987-88 के आय-व्ययक में 7,20,000रु० की व्यवस्था कर ली गई है ।

2––व्यय का विभाजन––

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग––

क्रमांक	पद	वेतन-मान	पदों की संख्या
1	2	3	4
		रु०	
(1)	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-2	570–1100	1
(2)	लेखाकार	570–1100	6
(3)	सहायक लेखाकार	515–860	3
(4)	ड्राइवर	330–490	1
(5)	दफ्तरी	315–440	1
(6)	चौकीदार	305–390	2
(7)	माली	305–390	1
(8)	स्वीपर	305–390	1

(ख) गाड़ियों/उपकरणों आदि के स्थूल ब्योरे––

मद	संख्या	धनराशि
		रु०
1––मारूति (जिप्सी)	1	1,15,000
2––इलेक्ट्रो फोटो कापियर	1	
3––इलेक्ट्रो स्टैंसिल कटर	1	2,23,000
4––इलेक्ट्रो टाइपराइटर (द्विभाषी)	1	

3––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन––

2054––राजकोष और लेखा प्रशासन–आयोजनेतर–

095 लेखा और राजकोष निदेशालय–

02–विभागीय लेखा निदेशालय––

(हजार रुपयों में)

01––वेतन	..	46
03––महंगाई भत्ता	..	37
04––यात्रा व्यय	..	6
05––अन्य भत्ते	..	9
08––मोटर गाड़ियों का क्रय	..	115
09––मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पट्रोल की खरीद	..	1
19––लघु निर्माण कार्य	..	275
20––मशीनें साज-सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र	..	223
32––अन्तरिम सहायता	..	8
योग	..	7,20

[illegible] प्रदेश के कतिपय कोषागारों में इण्टरकाम, कैश वाहन तथा कतिपय कोषागारों के वरिष्ठ कोषाधिकारियों [illegible] को आवासीय टेलीफोन की सुविधा [illegible]

प्रदेश के कोषागारों के बढ़े हुए उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों को दृष्टिगत रखते हुए तथा फिलहाल आधुनिकीकरण की दिशा में कदम के रूप में कोषागार, लखनऊ एवं कानपुर में एक-एक कैश वाहन, कोषागार, लखनऊ, कानपुर एवं इलाहाबाद में इण्टर-काम तथा कोषागार इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा एवं कानपुर के वरिष्ठ कोषाधिकारियों को आवासीय टेलीफोन की सुविधा दिये जाने की आवश्यकता पायी गयी है। कैशवाहनों के क्रय एवं ड्राइवर के पदों के सृजन पर वर्ष 1987–88 में 2,30,000 रु0 के 12 लाइन वाले इण्टरकाम की व्यवस्था में 1,00,000 तथा कोषागार इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा एवं कानपुर के वरिष्ठ कोषाधिकारियों को आवासीय टेलीफोन की सुविधा हेतु 44,000 रु0 (32,000 अनावर्तक तथा 12,000 आवर्तक) का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1987–88 के आय-व्यय क में 3,74,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2––व्यय का विभाजन––

क––अपेक्षित कर्मचारी वर्ग––

वर्ग	वेतन-मान	पदों की संख्या
	रु0	
1––चालक	330–495	2

ख––गाड़ियों/उपकरण आदि के स्थूल ब्योरे––

मद	संख्या	धनराशि
		रु0
1––कैश वाहन	2	2,00,000
2––12 लाइन वाले इण्टरकाम	3	1,00,000
3––आवासीय टेलीफोन (एस0टी0डी0 सुविधा सहित)	4	44,000

3––आय-व्यय क में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन––

2054––राजकोष और लेखा प्रशासन–आयोजनेतर–

097–राजकोष स्थापना––

01––मुख्य––

	(हजार रुपयों में)
01––वेतन	8
03––महगाई भत्ता	5
04––यात्रा व्यय	3
05––अन्य भत्ते	3
07––टेलीफोन पर व्यय	44
08––मोटर गाड़ियों का क्रय	2,00
09––मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद	10
20––मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1,00
32––अन्तरिम सहायता	1
योग ..	3,74

[illegible] निदेशक कोषागार के अधीन चार क्षेत्रीय कार्यालयों (वाराणसी, मेरठ, बरेली और देहरादून) की स्थापना

प्रदेश के कोषागारों/उपकोषागारों की कार्य प्रणाली में सुधार लाने तथा उन पर प्रभावी नियंत्रण रखने की दृष्टि से क्षेत्रीय स्तर पर वाराणसी, मेरठ, बरेली तथा देहरादून में क्षेत्रीय संयुक्त निदेशकों के कार्यालयों का खोला जाना आवश्यक समझा गया है। इन क्षेत्रीय संयुक्त निदेशकों के कार्यालय खोलने में वित्तीय वर्ष 1987–88 में कुल 4,55,000 रु0 (3,39,000 रु0 आवर्तक तथा 1,16,000 रु0 अनावर्तक) का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1987–88 के आय-व्यय क में कुल 4,55,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2—व्यय का विभाजन—

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग—

पद	वेतन-मान	पदों की संख्या
	रु०	
1—संयुक्त निदेशक	1600–2300	4
2—आशुलिपिक	470–735	4
3—वरिष्ठ सहायक	515–860	4
4—अर्दली/चपरासी	305–390	4
5—चौकीदार	305–390	4

(ख) उपकरणों आदि के स्थूल ब्योरे—

मद	संख्या	धनराशि
		रु०
टेलीफोन	4	32,000

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

2054—राजकोष और लेखा प्रशासन—आयोजनेतर —

097—राजकोष स्थापना—

01—मुख्य—

	(हजार रुपयों में)
01—वेतन	1,38
03—महंगाई भत्ता	88
04—यात्रा व्यय	20
05—अन्य भत्ते	27
06—कार्यालय व्यय	30
07—टेलीफोन पर व्यय	36
30—मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1,16
योग ..	4,55

वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि)

वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें (आयोजनेतर)

क्र0 सं0	योजना का नाम	1987–88 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1987-88 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षासंगठन उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ कतिपय जनपदों के जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के कार्यालयों में टेलीफोन की व्यवस्था	1,20	..	..	1,20	2425–सहकारिता	71 न
2	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत सम्भागीय कार्यालयों हेतु डीजल जीप तथा कतिपय अन्य संस्थाओं की लेखा परीक्षा हेतु अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था	8,16	..	..	8,16	2054–राजकोष और लेखा प्रशासन	71–72 न
3	नेशनल इन्स्टीटयूट आफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पालिसी, नई दिल्ली द्वारा राज्य सरकार के व्यय का अध्ययन	1,00	..	..	1,00	2052- सचिवालय सामान्य सेवायें	72 न
4	पेन्शन कोष्ठक हेतु एक इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर की व्यवस्था	35	..	..	35	तदैव	72 न
	योग	10,71	..	..	10,71		

अनुदान संख्या 58

वित्त (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि) – अनुभाग

सहकारी एव पंचायत लेखा परीक्षा संगठन उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ कतिपय जनपदों के जिला लेखा-परीक्षा अधिकारी के कार्यालयों में टेलीफोन की व्यवस्था

सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ जिला लेखा-परीक्षा अधिकारियों द्वारा जिले में स्थित सहकारी संस्थाओं की लेखा-परीक्षा का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन संस्थाओं में अवधारित लेखा-परीक्षी शुल्क की उगाही का कार्य भी किया जाता है। उक्त कार्यों के सम्पादन करने में उन्हें जनपद के विभिन्न कार्यालयों एवं अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क करने की आवश्यकता होती है। अतः उक्त अधिकारियों के कार्य सम्पादन में दक्षता एवं कार्यशीलता बढ़ाने के लिये टेलीफोन का होना नितान्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण केन्द्र, आयोध्या में भी एक टेलीफोन लगाये जाने की आवश्यकता है। अतः लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, गजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, बिजनौर, झांसी, मिर्जापुर, देवरिया सहारनपुर, के जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों के कार्यालयों में तथा प्रशिक्षण केन्द्र अयोध्या में एक-एक टेलीफोन कुल 16 टेलीफोन लगाये जाने का प्रस्ताव है। इन टेलीफोनों के लगाये जाने पर वर्ष 1987–88 में 1,20,000 रु0 अर्थात् (96,000 रु0 अनावर्तक तथा 24,000 रु0 आवर्तक) के व्यय होने का अनुमान है। वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में 1,20,000 रु0 की धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन–

(हज़ार रुपयों में)

2425—सहकारिता—आयोजनेतर—
101—सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा—
01—सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान—
07—टेलीफोन पर व्यय 1,20

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत संभागीय कार्यालयों हेतु डीजल जीपं तथा कतिपय अन्य संस्थाओं के लेखाओं के लेखा परीक्षा हेतु अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश की स्थानीय निकायों/संस्थाओं तथा जिला परिषद्, नगरपालिका अधिसूचित क्षेत्र समितियां, क्षेत्र समितियां वन निगम, विकास प्राधिकरण विश्वविद्यालयों तथा अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं आदि की लेखा परीक्षा का कार्य संपादित किया जाता है। उक्त विभाग की लेखा परीक्षा का कार्य अब विकेन्द्रित करते हुए जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों के नियंत्रण में कराया जाता है। जिला स्तर पर संपादित किये जाने वाले लेखापरीक्षा कार्य में लगे हुए स्टाफ के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिये तथा कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए मण्डल स्तर पर तैनात सहायक निदेशकों को एक-एक डीजल जीप उपलब्ध कराया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः यह प्रस्तावित है कि प्रथम चरण में वर्ष 1987-88 में मण्डलीय स्तर पर कार्यरत सहायक निदेशकों के लिये चार डीजल जीपों के क्रय तथा चार ड्राइवर (चालक) के पदों के सृजन की व्यवस्था की जाय।

2—स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत संपरीक्षाधीन गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्त नगर के सामान्य कार्यों एवं लेखों के कार्य में वृद्धि होने के फलस्वरूप उसके लेखा परीक्षा कार्य को सुचारु रूप से संपादित करने हेतु 17 वरिष्ठ लेखा परीक्षक 12 लेखा परीक्षक 2 टंकक/लिपिक एवं 2 चपरासी के अतिरिक्त पद तथा विभिन्न संस्थाओं की विशेष लेखा परीक्षा हेतु स्वीकृत विशेष संपरीक्षा सेल की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा उसके पत्र व्यवहार आदि के टंकण एवं तत्संबंधी लिपिक कार्यों के संपादन हेतु एक टंकक/लिपिक का पद सृजित किये जाने तथा साज सज्जा के रूप में दो टंकण मशीन एवं दो लोहे की आलमारी के क्रय किये जाने का प्रस्ताव है।

3—उपर्युक्त सम्पूर्ण प्रस्ताव पर वर्ष 1987-88 में कुल व्यय 8,16,000 रु0 (4,53,000 रु0 अनावर्तक तथा 3,63,000 रु0 आवर्तक) का व्यय अनुमानित है। तदनुसार वर्ष 1987–88 के आय व्ययक में 8,16,000 रु0 की धनराशि सम्मिलित कर ली गई है।

2—व्यय का विभाजन—

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग

क्र0 सं0	पद	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु 0	
1	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	570-1100	17
2	लेखा परीक्षक	470-735	12
3	टंकक/लिपिक	354-550	3
4	जीप चालक	330-495	4
5	चपरासी	305-390	2

(ख) साज-सज्जा और मशीनें आदि के स्थूल व्योरे-

क्रमांक	मद	संख्या	धनराशि
			रु0
1	डीजल जीप	4	4,40,000
2	टंकण मशीनें (हिन्दी)	2	10,000
3	स्टील अलमारी (बड़ी)	2	3,000
	योग ..		4,53,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2054--राजकोष और लेखा प्रशासन-आयोजनेतर-

093-स्थानीय निधि लेखा परीक्षा--

01--अधिष्ठान व्यय--

(हजार रुपयों में)

01--वेतन	1,40
03--महंगाई भत्ता	1,30
04--यात्रा व्यय	28
05--अन्य भत्ते	12
06--कार्यालय व्यय	13
08--मोटर गाड़ियों का क्रय	4,40
09--मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद	20
32--अन्तरिम सहायता	33
योग ..	8,16

नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेन्स एण्ड पालिसी, नई दिल्ली द्वारा राज्य सरकार के व्यय का अध्ययन--

नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक फ़ाइनेन्स एण्ड पालिसी, नई दिल्ली का गठन स्वायत्तशासी संस्था के रूप में वर्ष 1976 में किया गया था। इसका कार्य सार्वजनिक वित्त एवं तत्संबंधी मामलों का अध्ययन एवं इस सम्बन्ध में शासन को सलाहकार सेवा उपलब्ध कराना है। यही एक ऐसी संस्था है जहां प्रदेशीय, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा योजना आयोग के अधिकारी संयुक्त प्रयासों के माध्यम से सर्वहित में वित्तीय ढांचे का अध्ययन कर समस्याओं का निदान ढूंढते हैं। यह संस्था केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सम्मिलित प्रयासों द्वारा गठित है। उक्त इन्स्टीट्यूट द्वारा राज्य सरकारों के व्यय प्रणाली का अध्ययन किये जाने का प्रस्ताव है। इस कार्य हेतु 1,00,000 रु0 संस्था को दिया जाना है। चूंकि वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में इस हेतु कोई प्राविधान नहीं है, अतः वर्ष 1987-88 के आय व्ययक में 1,00,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2052--सचिवालय-सामान्य सेवायें-आयोजनेतर-09-सम्बद्ध कार्यालय-
02-डाइरेक्ट्रेट आफफिस्कल प्लानिंग एण्ड रिसोर्सेज-10-व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिये भुगतान 1,00

पेंसन कोष्ठक (सेल) हेतु एक इलेक्ट्रानिक टाइप राइटर की व्यवस्था

प्रदेश के विभिन्न पेंशनरो द्वारा शासन के विरुद्ध अनेक रिट याचिकायें दायर की गयी हैं। कई मामलो मे कन्टेम्प्ट पिटीशन्स भी दायर की गई हैं। कुछ रिट याचिकायें उच्च न्यायालय में तथा कुछ सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है। सभी रिट याचिकायें अंग्रेजी में होती हैं। और उनके प्रति शपथ पत्र अंग्रेजी में ही तैयार किये जाते है। प्रति शपथ पत्रों के अतिरिक्त शासन के पक्ष के संबंध में टिप्पणियां भी अंग्रेजी म तैयार करनी पड़ती हैं। इस हेतु अंग्रेजी का एक इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर क्रय करने का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1987-88 के आय व्ययक में 35,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षको के अनुसार विभाजन:-

(हजार रुपयों में)

2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेतर--
091-सम्बद्ध कार्यालय
03-पेंशन संगठन
0301-मुख्यालय-अधिष्ठान व्यय
06--कार्यालय व्यय

वित्त बीमा विभाग

वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें (आयोजनेतर)

क्रम सं0	योजना का नाम	1987–88 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1987–88 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय के लिये एक गाड़ी जीप (जिप्सी) का क्रय	1,16	..	..	1,16	2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	75 न

अनुदान संख्या–59

वित्त (बीमा) विभाग

राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय के लिये एक मारुति (जिप्सी) जीप का क्रय

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय में कोई राजकीय वाहन उपलब्ध नहीं है, जिसके फलस्वरूप निदेशालय के कार्यों को सुचारु रूप से निष्पादित करने में कठिनइयां आती है । इसके निवारण हेतु बीमा निदेशालय में एक मारुति जिप्सी जीप का क्रय एवं एक ड्राइवर के पद के सृजन का प्रस्ताव है। वर्ष 1987-88 में प्रस्ताव पर कुल 1,16,000 रु0 (11,000 आवर्तक तथा 1,05,000 रु0 अनावर्तक) का व्यय निहित है । तदनुसार वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में 1,16,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गई है ।

2—व्यय का विभाजन—

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग—

पद	वेतनमान	पदों की संख्या
	रु0	
ड्राइवर	330-495	

(ख) साज सज्जा/वाहन के स्थूल व्योरें—

मद	धनराशि
	रु0
स्टाफ कार का क्रय	1,05,000

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण–आयोजनेतर–	
60–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम–आयोजनेतर–	
101–बीमा योजनायें–	
01–कर्मचारी समूहिक बीमा योजना का कार्यान्वयन—	
01—वेतन	3
03—महंगाई भत्ता	2
05—अन्य भत्ते	1
08—मोटर गाड़ियों की खरीद	1,05
09—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल की खरीद	5
योग ..	1,16

———

विधान परिषद् सचिवालय

वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें (आयोजनेतर)

क्र० सं०	योजना का नाम	1987–88 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1987–88 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान को शासन द्वारा दी जाने वाली अनुदान की धनराशि में वृद्धि।	25	..	..	25	2011–संसद/राज्य संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	79 न
	योग ..	25	..	..	25		

अनुदान संख्या–60

विधान परिषद् सचिवालय

सांविधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान को शासन द्वारा दी जाने वाली अनुदान की धनराशि में वृद्धि

सांविधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली की उत्तर प्रदेश शाखा को उसके उद्देश्यपूर्ण कार्य-कलापों के समुचित सम्पादनार्थ उसे प्रति वर्ष 25,000 रुपये की दर से दी जा रही अनुदान की धनराशि को बढ़ाकर 50,000 रु0 प्रति वर्ष किये जाने का प्रस्ताव है। एतदर्थ 25,000 रुपये की व्यवस्था पहले की भांति सामान्य आय-व्ययक में पहले ही की जा चुकी है अतः शेष 25,000 रु0 की धनराशि वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में और सम्मिलित कर ली गई है।

2––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन––

(हजार रुपयों में)

2011––संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल–आयोजनेतर–

02–राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल–

103–विधान मंडल सचिवालय–

01–विधान परिषद सचिवालय–

14–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 25

विधान सभा सचिवालय

वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें (आयोजनेतर)

क्र0 सं0	योजना का नाम	1987–88 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1987–88 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी निर्देश का पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेख का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1–	विधान सभा पुस्तकालय के वर्तमान हाल को एक आधुनिक रीडिंग रूम में परिवर्तित किया जाना एवं विधान सभा पुस्तकालय के समिति कक्ष का सुसज्जीकरण।	1,19	..	..	1,19	2011–संसद/राज्य संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	83 न
2–	विधान सभा सचिवालय के लेखा अनुभाग में तीन कैश काउन्टर का निर्माण तथा स्टील रैक्स की व्यवस्था।	77	..	..	77	तदैव	83 न
	योग	1,96	..	..	1,96		

अनुदान संख्या—61

विधान सभा सचिवालय

विधान सभा पुस्तकालय के वर्तमान हाल को एक आधुनिक रीडिंग रूम में परिवर्तित किया जाना एवं विधान सभा पुस्तकालय के समिति कक्ष का सुसज्जीकरण

विधान सभा पुस्तकालय के वर्तमान हाल को एक आधुनिक रीडिंग रूम में परिवर्तित करने तथा उसमें साज-सज्जा की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के आंगणन के अनुसार इस मद में 83,000 रु० का अनावर्तक व्यय निहित है। विधान सभा पुस्तकालय के समिति कक्ष में डिकोरा बिछाया जाना तथा इसको सुसज्जित किया जाना आवश्यक हो गया है। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के आंगणन के अनुसार इस मद में 36,000 रुपये का अनावर्तक व्यय निहित है। तदनुसार उपर्युक्त दोनों कार्यों हेतु 83,000 रु० तथा 36,000 रु० कुल 1,19,000 रु० की धनराशि वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में सम्मिलित करली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

(हजार रुपयों में)

2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल---

02--राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल---

103 विधान मण्डल सचिवालय-आयोजनेतर--

01-विधान सभा सचिवालय

06--कार्यालय व्यय 1,19

विधान सभा सचिवालय के लेखा अनुभाग में कैश काउन्टरों का निर्माण तथा स्टील रैक्स की व्यवस्था

विधान सभा सचिवालय के लेखा अनुभागों में अभी तक अधिकारियों/कर्मचारियों एवं माननीय सदस्यों का नगद भुगतान खुली मेज पर किया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से कोषाध्यक्षों के बैठने के स्थान को पार्टीशन द्वारा घेर कर भुगतान के तीन काउन्टर बनाये जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त लेखा संबंधी पुराने अभिलेखों के रख रखाव के लिये 17 स्टील रैक्स का लगाया जाना भी अत्यन्त आवश्यक है। उपरोक्त दोनों कार्य पर क्रमश 14,600 रु० एवं 62,400 रुपये अर्थात् कुल 77,000 रु० का अनावर्तक व्यय की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में 77,000 रु० की धनराशि सम्मिलित कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन:--

(हजार रुपयों में)

2011-संसद/राज्य संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल---

02-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल---

103 विधान मण्डल सचिवालय-

01 विधान सभा सचिवालय (मतदेय)

06-कार्यालय व्यय 77

श्रम विभाग

वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें (आयोजनेतर)

क्रम0 सं0	योजना का नाम	1987–88 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1987–88 के आय-व्यय में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मथुरा के छात्रावास के भवन की मरम्मत	..	4,94	..	4,94		4250–अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	87 न

अनुदान संख्या–70

श्रम विभाग (सेवायोजन)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मथुरा के छात्रावास के भवन की मरम्मत

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मथुरा का छात्रावास भवन काफी जीर्णशीर्ण होने से छात्रों के आवास हेतु उपयोगी न होने के कारण यह प्रस्तावित है कि वित्तीय वर्ष 1987–88 में 4,94,400 रु0 की अनुमानित लागत से उक्त भवन के मरम्मत का कार्य कराया जाये। अतएव औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मथुरा के छात्रावास के भवन की मरम्मत के लिये वर्ष 1987–88 के आय व्ययक में 4,94,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2––आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन––

(हजार रुपयों में)

4250–अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय–आयोजनेतर–

201–श्रम–

04––औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मथुरा के छात्रावास के भवन की मरम्मत––

18––वृहत निर्माण कार्य 4,94

सार्वजनिक निर्माण विभाग

वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें (आयोजनेतर)

क्रम-सं0	योजना का नाम	1987–88 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1987–88 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1—जनपद देवरिया में देवरिया-गोरखपुर मार्ग (राज्य मार्ग– 1) पर स्थित वर्त्तमान रेलवे सम्पार संख्या 130 ए/3 टी के स्थान पर उपरिगामी सेतु निर्माण	55,00	..	..	55,00	3054–सड़कें और पुल	91 न
2—सार्वजनिक निर्माण विभाग के 17 पुराने रोड रोलरों के प्रतिस्थापन हेतु नये रोड रोलरों का क्रय	..	53,43	..	53,43	5054–सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय	91–92 न
3—निष्प्रयोज्य पेट्रोल जीपों के प्रतिस्थापन हेतु नई जीपों का क्रय	68,00	..	..	68,00	2059–लोक निर्माण	92 न
4—सार्वजनिक निर्माण विभाग की पुरानी कारों के प्रतिस्थापन हेतु नई एम्बेसेडर कारों का क्रय	12,32	..	..	12,32	2059–लोक निर्माण	92 न
	योग	1,35,32	53,43	..	1,88,75		

अनुदान संख्या–75

सार्वजनिक निर्माण विभाग

जनपद देवरिया में देवरिया–गोरखपुर मार्ग (राज्य मार्ग–1) पर स्थित वर्तमान रेलवे सम्पार संख्या 130ए/3टी के स्थान पर उपरिगामी सेतु का निर्माण

जनपद देवरिया––गोरखपुर मार्ग पर रेलवे सम्पार संख्या 1 / 3-टी के स्थान पर उपरिगामी सेतु का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है। रेलवे प्रशासन व सार्वजनिक निर्माण विभाग ने संयुक्त रूप में मुख्य सेतु व पहुंच मार्ग के आगणन बनाये हैं जिसकी कुल अनुमानित लागत 406.1645 लाख रुपये है। मुख्य सेतु का निर्माण रेलवे द्वारा तथा पहुंच मार्ग का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। पूरे कार्य की लागत को रेलवे व राज्य शासन द्वारा निर्धारित अनुपात में वहन किया जाना है तथा अन्ततोगत्वा राज्य सरकार के व्यय अंश की भी प्रतिपूर्ति रेलवे द्वारा रेलवे सुरक्षा कार्य निधि से कर दी जायगी।

––प्रश्नगत निर्माण-कार्य की अनुमानित लागत निम्नवत् है :––

मद	रेलवे का अंश (लाख रु0)	राज्य सरकार का अंश (लाख रु0)	कुल अनुमानित लागत (लाख रु0)
मुख्य सेतु ..	69.34	69.50	138.84
पहुंच मार्ग ..	129.98	137.35	267.33
योग ..	199.32	206.85	406.17

––प्रश्नगत उपरिगामी सेतु के निर्माण-कार्य के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को निम्नानुसार धनराशि उपलब्ध कराई जानी है :––

वर्ष	धनराशि (लाख रुपयों में)	प्रयोजन
1987–88 ..	55.00	पहुंच मार्ग का निर्माण में राज्य सरकार का अंश।
1988–89 ..	160.00	तदेव
1989–90 ..	52.33	तदेव
योग	267.33	तदेव
1989–90 ..	69.50	मुख्य सेतु में राज्य सरकार का अंश।
महायोग	336.83	

तदनुसार वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में 55,00,000 रुपये की व्यवस्था कर ली गयी है।

2––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन––

(हजार रुपयों में)

3054––सड़कें और पुल––आयोजनेतर––

80––सामान्य––

107––रेलवे सुरक्षा निर्माण-कार्य––

वर्ष 1987–88 के कार्य––जनपद देवरिया में देवरिया––गोरखपुर मार्ग (राज्य मार्ग-1) पर स्थित वर्तमान रेलवे सम्पार संख्या 130ए / 3 टी के स्थान पर उपरिगामी सेतु का निर्माण 55,00

सार्वजनिक निर्माण विभाग के पुराने रोड रोलरों के प्रतिस्थापन हेतु नये रोड रोलरों का क्रय

सार्वजनिक निर्माण विभाग के 791 पुराने रोड रोलरों में से 17 रोड रोलरों को जो पूर्णतया अनुपयोगी हो गये हैं, इन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित किया जा चुका है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के नव-निर्माण व सुदृढ़ीकरण तथा उन्हें चौड़ा करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है परन्तु रोड रोलरों के अभाव में अत्यन्त कठिनाई का अनुभव हो रहा है। अतः उक्त 17 निष्प्रयोज्य पुराने रोड रोलरों के स्थान पर 53,43,000 रु0 की अनुमानित लागत से 17 नये डीजल रोड रोलरों के क्रय का प्रस्ताव है। तदनुसार वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में 53,43,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--व्यय का विभाजन--

साज सज्जा/भंडार/मशीन/गाड़ियों आदि के स्थूल ब्योरे--

मद	धनराशि
	रु0
17 रोड रोलरों का क्रय	53,43,000

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

5054--सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय-आयोजनेतर-
04-जिला और अन्य सड़कें-
800 अन्य व्यय-विशेष उपकरण एवं संयंत्र-सा0नि0वि0 के निष्प्रयोज्य रोड रोलरों के प्रतिस्थापन हेतु नये डीजल रोड रोलरों का क्रय
20-मशीन तथा सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र- 53,43

निष्प्रयोज्य पेट्रोल जीपों के प्रतिस्थापन हेतु नयी डीजल जीपों का क्रय--

सार्वजनिक निर्माण विभाग में 257 पेट्रोल जीपें उपलब्ध है जो कि 10 वर्ष या उसके अधिक पुराने माडल की है। इनके रख-रखाव एवं मरम्मत पर काफी धन व्यय करना पड़ रहा है। इनकी उपयोगिता भी समाप्त हो गई है तथा इनको और चलाया जाना अमितव्ययी हो गया है। यह निर्विवाद है कि डीजल जीपों पर व्यय कम होगा। अतः उक्त पेट्रोल जीपों के चार चरणों में प्रतिस्थापित किया जाना है। तदनुसार प्रमुख अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य हित में, प्रथम चरण में 65 निष्प्रयोज्य पेट्रोल जीपों के प्रतिस्थापन का प्रस्ताव है। इस पर वर्ष 1987-88 में 68,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है जिसकी व्यवस्था आय व्ययक में कर ली गई है।

2-- आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षको के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

"2059--लोक निर्माण-80-सामान्य-001--निदेशन एवं प्रशासन-02-कार्यकारी-
65-निष्प्रयोज्य पेट्रोल जीपों के प्रतिस्थापन हेतु 65 नयी डीजल जीपों का क्रय--
21--मोटर गाड़ियों का क्रय 68,00

सार्वजनिक निर्माण विभाग की पुरानी कारों के प्रतिस्थापन हेतु नई अम्बेडसर कारों का क्रय--

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मार्गों के नव-निर्माण, पुरानी सड़कों के सुदृढ़ीकरण तथा उनके विस्तार का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ग्रामीण अंचलों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जा रहा है। भवन निर्माण का कार्य भी मुख्यालय से दूर ग्रामीण अंचलों में चलता रहा है। इन कार्यों के प्रभावी पर्यवेक्षण एवं कार्य में गतिशीलता लाने तथा उन्हें समय से पूरा किये जाने हेतु वाहनों की आवश्यकता सुस्पष्ट है। सार्वजनिक निर्माण विभाग में 20 कारें पुरानी है जो वर्ष 1971 तथा उसके आस पास के माडल की है तथा उनके रख-रखाव और मरम्मत पर अत्यधिक धन व्यय होता है जिसके कारण वे अमितव्ययी हो गई है तथा उन्हें निष्प्रयोज्य घोषित किया जाना है। इनमें से 13 कारें जो पूर्णतया अनुपयोगी हो गई है, को निष्प्रयोज्य घोषित किया जा चुका है। कार्य-हित में इनके प्रतिस्थापन का प्रस्ताव है। इस पर वर्ष 1987-88 में 12,32,000 रु0 का व्यय अनुमानित है जिसकी व्यवस्था आय व्ययक में कर ली गई है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2059--लोक निर्माण-
80--सामान्य-
001--निदेशन एवं प्रशासन-
01--निदेशन-
21--मोटर गाड़ियों का क्रय 12,32

संस्थागत वित्त (बिक्रीकर) विभाग

वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें (आयोजनेतर)

क्र0-सं0	योजना का नाम	1987–88 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1987–88 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1--बिक्री कर की वसूली योजना के विस्तार हेतु सात नई इकाइयों का सृजन तथा कर्मचारिवर्ग की व्यवस्था		18,51	..	..	18,51	2040–बिक्री कर	95-96न

अनुदान संख्या–79

संस्थागत वित्त (बिक्रीकर) विभाग

बिक्रीकर की वसूली योजना के विस्तार हेतु नयी इकाइयों का सृजन तथा कर्मचारिवर्ग की व्यवस्था

बिक्रीकर बकाया धनराशि की वसूली के लिये पूर्व में 11 जिलों में इकाइयां स्थापित की गयी थीं। इन इकाइयों से प्राप्त हुयी बिक्रीकर के रूप में राजस्व की प्रगति समीक्षा एवं कराधान रिव्यू समिति की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में अन्य सात जिलों (सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, बिजनौर, देहरादून, झांसी व नैनीताल) में इकाइयां वर्ष 1987–88 में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। जिसमें पूर्व में स्थापित 11 इकाइयों की वसूली का कार्य जिन जिलों में पूर्ण हो जायेगा, उन इकाइयों के स्टाफ आदि का हस्तान्तरण अन्य चार जिलों (सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, बिजनौर) में स्थापित नयी इकाइयों में किया जायेगा। शेष तीन इकाइयों (देहरादून, झांसी व नैनीताल) जिलों में योजना के संचालन के लिये कतिपय पदों का सृजन तथा मशीन/साज-सज्जा/फर्नीचर/मोटर गाड़ियों का क्रय भी अपेक्षित है। इसके लिये वर्ष 1987–88 में 18,51,000 रु0 की आवश्यकता है। तद्नुसार वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में 18,51,000 रु0 की व्यवस्था कर ली गयी है। स्वीकृति विस्तृत परीक्षणोपरान्त दी जायेगी।

2—व्यय का विभाजन:—

(क) कर्मचारिवर्ग—

क्रमांक	पद	वेतनमान	पदों की संख्या
		रु0	
1	डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) बिक्रीकर	850–1720	3
2	बिक्रीकर अधिकारी (संग्रह)	850–1720	3
3	नायब तहसीलदार	515–860	6
4	वासिल बाकी नवीस	430–685	3
5	वरिष्ठ सहायक	430–685	3
6	आशुलेखक	470–735	6
7	सहायक वासिल बाकी नवीस	354–550	6
8	टंकक/ कनिष्ठ लिपिक	354–550	
9	अमीन	354–550	30
10	चालक ड्राइवर	330–495	3
11	अर्दली/चपरासी	305–390	54
12	चौकीदार	305–390	3

(ख) साज-सज्जा/भंडार/मोटर गाड़ियों आदि के स्थल ब्योरे—

क्रमांक	मद	संख्या	धनराशि
			रु0
1	जीप गाड़ियों का क्रय	3	3,45,000
2	मेंज (अधिकारी)	6	15,000
3	मेंज (कर्मचारी)	48	28,800
4	कुर्सी	116	23,200
5	रेक	34	9,520
6	स्टील अलमारी	41	61,500
7	स्टूल	60	3,600
8	टाइपराइटर	3	15,000
	योग ..	..	5,02,000

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2040—बिक्रीकर—आयोजनेतर—

101—संग्रह प्रभार—

01—अधिष्ठान—

01—वेतन	5,76
03—महंगाई भत्ता	4,91
05—अन्य भत्ते	1,50
06—कार्यालय व्यय	20
08—गाड़ियों का क्रय	3,45
20—मशीनें और सज्जा/उपकरण/और संयंत्र	1,57
32—अन्तरिम सहायता	86
33—अन्य व्यय	26
योग ..	18,51

———

संस्थागत वित्त (मनोरंजन कर) विभाग

वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में सम्मिलित की नई मदें (आयोजनेतर)

क्र०सं०	योजना का नाम	1987–88 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1987–88 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1—	मनोरंजन कर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सराहनीय कार्यों के सम्पादनार्थ प्रोत्साहन स्वरूप नकद पुरस्कार दिय जाने की योजना।	50	..	..	50	2045—वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	99 न
2—	मनोरंजन कर विभाग के लिए जिला मनोरंजन कर अधिकारियों के पदों का सृजन।	1,94	..	..	1,94	नदेय	99 न
	योग,	2.44	..	..	2.44	..	..

अनुदान संख्या 80

संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

मनोरंजन कर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सराहनीय कार्यों के सम्पादनार्थ प्रोत्साहन स्वरूप नगद पुरस्कार दिये जाने की योजना

वर्ष 1987–88 से मनोरंजन कर विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को सराहनीय कार्य करने के लिये प्रोत्साहन स्वरूप नकद पुरस्कार प्रदान किये जाने की योजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। इसके लिये वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में 50,000 रु0 की धनराशि की व्यवस्था की गयी है। वास्तविक स्वीकृति देते समय इस धनराशि के अधीन सम्पूर्ण योजना की पूरी रुपरेखा वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

2—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2045—वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क–आयोजनेतर–
101–संग्रह प्रभार–मनोरंजन कर—
33—अन्य व्यय 50

मनोरंजन कर विभाग के लिये सात जिला मनोरंजन कर अधिकारियों के नये पदों का सृजन–

मनोरंजन कर के अपवंचन एवं आमोदों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से वर्ष 1978 में 8 या इससे अधिक छविगृहों वाले जनपदों में एक-एक जिला मनोरंजन कर अधिकारी के पद सृजन की स्थिति को देखते हुए जनपद इटावा, एटा, फतेहपुर, सीतापुर तथा बाराबंकी हेतु एक-एक जिला मनोरंजन कर अधिकारी तथा मुख्यालय हेतु 2 मनोरंजन कर अधिकारियों के नये पद वर्ष 1987–88 में सृजित किये जाने का प्रस्ताव है। इसके लिये वर्ष 1987–88 में 1,94,000 रु0 की धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है।

2—व्यय का विभाजन—

(क) अपेक्षित कर्मचारिवर्ग—

क्र0सं0	पद	वेतन-मान	पदों की संख्या
		रु0	
1	जिला मनोरंजन कर अधिकारी ..	690–1420	7

(ख) साज-सज्जा

क्र0सं0	मद	संख्या	धनराशि (हजार रुपयों में)
1	—आफिसर्स टेबुल	7	10
2	—आफिसर्स कुर्सियां	7	
3	—रैक्स	7	
4	—आफिस कुर्सियां	12	

3—आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन—

(हजार रुपयों में)

2045—वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क–आयोजनेतर–
101–संग्रह प्रभार–
01—मनोरंजन कर से सम्बन्धित अधिष्ठान—

01	—वेतन	71
03	—महंगाई भत्ता	52
04	—यात्रा व्यय	41
05	—अन्य भत्ते	20
06	—कार्यालय व्यय	10
	योग ..	1,94

संस्थागत वित्त (स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन) विभाग

वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय का नई मदों (आयोजनेतर)

क्र० सं०	योजना का नाम	1987–88 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1987–88 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1—	उत्तर प्रदेश में कतिपय जिलों के उप-निबंधक कार्यालयों हेतु लोहे की अलमारी, पंखे तथा साज सज्जा का क्रय	4,87	..	...	4,87	2030-स्टाम्प और पंजीकरण	103 न
2—	महानिरीक्षक निबंधन के अन्तर्गत तहसील स्तर पर उप निबंधक के नये कार्यालयों की स्थापना एवं पदों का सृजन	1,49	..	..	1,49	राजस्व	103–104 न
	योग —	6,36	..	..	6,36		

अनुदान संख्या—81

संस्थागत वित्त (स्टाम्प एवं पंजीकरण) विभाग

उत्तर प्रदेश के कतिपय जिलों के उप निबन्धक कार्यालयों हेतु लोहे की आलमारी, पंखे तथा साज-सज्जा का क्रय

उप निबन्धक कार्यालयों में अभिलेखों, जांच आख्याओं, स्टेटमेन्ट्स एवं अन्य महत्वपूर्ण कागजातों को रखने के लिये पर्याप्त संख्या में आलमारियां उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण उनके रख-रखाव में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। प्रदेश के कानपुर, प्रतापगढ़, खुर्जा, भावना एवं कन्नौज उप निबन्धक कार्यालयों में पर्याप्त संख्या में पंखे नहीं हैं जिसके कारण कर्मचारियों एवं जनता को कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय अभिलेखागारों में बहियों तथा अनुसूची पंजियों (इन्डेक्स रजिस्टरों) को जिल्दसाजी (बाइंडिंग) करके सुव्यवस्थित रखने की भी आवश्यकता है ताकि यह अधिक दिनों तक सुचारु रूप से सुरक्षित रह सके क्योंकि निबन्धन अभिलेख स्थायी प्रकृति के होते हैं और समय-समय पर जनता द्वारा इनका निरीक्षण भी होता रहता है। अतः सहायक महा-निरीक्षक निबन्धन हेतु 20 लोहे की आलमारियों की व्यवस्था तथा उप निबन्धक हेतु 150 आलमारियों की तथा पंखों का क्रय तथा पंजियों (रजिस्टरों) की जिल्दसाजी (बाइंडिंग) कराने का प्रस्ताव है। उपर्युक्त कार्य हेतु कुल 4,87,000 रुपये की आवश्यकता होगी, जिसके लिये वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में व्यवस्था कर ली गयी है।

2––व्यय का विभाजन––

(ख) साज/सज्जा आदि के स्थूल ब्योरे––

मद	धनराशि
	रु0
1––सहायक महानिरीक्षक निबन्धन के कार्यालय हेतु आलमारी	30,000
2––उप निबन्धक कार्यालयों हेतु बिजली के छत के पंखे	7,000
3––केन्द्रीय अभिलेखागारों में रखी बहियों तथा इन्डेक्स रजिस्टरों की बाइंडिंग	2,00,000
4––उप निबन्धक कार्यालयों हेतु आलमारियों का क्रय	2,50,000

3––आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन––

2030––स्टाम्प और पंजीकरण–– आयोजनेतर–
03––पंजीकरण– (हजार रुपयों में)
001––निदेशन और प्रशासन–
01––मुख्यालय–
06––कार्यालय व्यय– 30
02––जिला व्यय–
06––कार्यालय व्यय 4,57
योग .. 4,87

महानिरीक्षक निबन्धन के अन्तर्गत तहसील स्तर पर उप निबन्धक के नये कार्यालयों की स्थापना एवं पदों का सृजन

प्रदेश के कतिपय जनपदों के अन्तर्गत राजस्व विभाग द्वारा तहसील कार्यालय स्थापित किये जा चुके हैं जिसके फलस्वरूप वहां की जनता के तहसील स्तर के सभी कार्य उन कार्यालयों में सम्पन्न होते हैं। किन्तु निबन्धन विभाग के अन्तर्गत उन तहसीलों में उप निबन्धक कार्यालय स्थापित न किये जाने के कारण जनता को निबन्धन कार्य हेतु अन्यत्र जाना पड़ता है। जिससे जनता को काफी कठिनाई होती है। सम्प्रति प्रदेश स्तर पर स्थापित तहसीलों लाल गंज (जनपद रायबरेली), तिलोई (जनपद रायबरेली), महरोनी (जनपद ललितपुर) तथा गौरीगंज (जनपद सुल्तानपुर) में निबन्धन विभाग के उप निबन्धक कार्यालय स्थापित नहीं है। अतः जनहित में यह प्रस्तावित है कि उक्त तहसील स्तर पर निबन्धन विभाग के अन्तर्गत एक-एक कार्यालय स्थापित किया जाय तथा उनके लिये अपेक्षित कर्मचारि वर्ग एवं कार्यालय साज-सज्जा की व्यवस्था की जाय जिस पर वर्ष 1987––88 में कुल 1,49,000 रु0 (1,41,000 रु0 आवर्तक तथा 8,000 रु0 अनावर्तक) व्यय होने का अनुमान है। तदनुसार वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक मे इतनी ही धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--व्यय का विभाजन--

क--अपेक्षित कर्मचारिवर्ग--

पद		वेतन मान	पदों की संख्या
		रु0	
1--उप निबन्धक	..	625-1,240	4
2--निबन्धन लिपिक	..	354-550	4
3--सेवक	..	305-390	4

ख--सज्जा/भंडार/मशीन/गाड़ियों के स्थूल व्योरे--

मद	1987-88
	(हजार रुपयों में
220--मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	8

3--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशियों का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

2030-स्टाम्प और पंजीकरण -आयोजनेतर--

03--पंजीकरण--

001--निदेशन और प्रशासन--

02--जिला व्यय--

01--वेतन	..	..	..	..	..
03--महंगाई भत्ता	..	..	..	..	..
06--कार्यालय व्यय					
04--अन्य भत्ते	..	..	..	..	..
23--अनुरक्षण	..	..	..	..	..
32--अन्तरिम सहायता		..	..	..	..
				योग	.. 11,49

सचिवालय प्रशासन विभाग

वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें (आयोजनेतर)

क्रम सं0	योजना का नाम	1987–88 में व्यय (हजार रुपयों में)				लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1987–88 के आय-व्ययक में विधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1–सचिवालय की विभिन्न शाखाओं में इन्टर काम की व्यवस्था		3,00	..	..	3,00	2052–सचिवालय सामान्य सेवायें	107न

अनुदान संख्या—82

सचिवालय प्रशासन विभाग

सचिवालय की विभिन्न शाखाओं में इण्टरकाम की व्यवस्था

उ0 प्र0 सचिवालय में दूर संचार की व्यवस्था को आधुनिक एवं विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों में इण्टरकाम की व्यवस्था कराये जाने की आवश्यकता अनुभव की गयी है। अपदान द्वारा उपलब्ध कराये गए आगणनों के अनुसार वर्ष 1987-88 में सचिवालय के पांच विभागों में इन्टरकाम की व्यवस्था पर 3,00,000 रु0 का व्यय अनुमानित है। अतः इन्टरकाम की उपरोक्तानुसार व्यवस्था हेतु 3 लाख रुपये मात्र की धनराशि वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में सम्मिलित कर ली गयी है।

2—आय-व्ययक में सम्मिलित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजनः—

2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं—आयोजनेतर—

090—सचिवालय— (हजार रुपयों में)

01—सचिवालय/मुख्य

07—टेलीफोन पर व्यय" 3,00

सांस्कृतिक कार्य विभाग

वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों (आयोजनेतर)

सं0	योजना का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	1987–88 में व्यय (हजार रुपयों में) पूंजी लेखे का व्यय		योग	लेखा शीर्षक जिसके अन्तर्गत 1987–88 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	टिप्पणी निर्देश पृष्ठ संख्या
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1—	सांस्कृतिक दल के गठन हेतु उ0 प्र0 संगीत नाटक अकादमी को अनुदान	50	..	..	50	2205 कला और संस्कृति	iii न
2—	कथक केन्द्र लखनऊ के विकास के लिए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी को अनुदान	65	..	..	65	तदैव	iii न
3—	उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को अनुदान	1,92	..	..	1,92	तदैव	iii न
	योग	3,07	..	..	3,07		

अनुदान संख्या 85

सांस्कृतिक कार्य विभाग

सांस्कृतिक दल के गठन हेतु उ0 प्र0 संगीत नाटक अकादमी को अनुदान

अन्तर्राज्यीय सांस्कृतिक दल के आदान-प्रदान योजना के अन्तर्गत उ0 प्र0 संगीत नाटक अकादमी को 1,00,000 रु0 का वार्षिक अनुदान दिया जाता है जो इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यकलापों के सुचारु रूप से संचालन हेतु पर्याप्त नहीं है। अतः यह प्रस्तावित है कि इस योजना के लिये दिये जाने वाले 1,00,000 रुपये के आवर्तक अनुदान में 50,000 रुपये की वृद्धि कर दी जाय। अतः वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में 50,000 रु0 आवर्तक की व्यवस्था कर ली गयी है।

2-22--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

(हजार रुपयों में)

2205--कला और संस्कृति--आयोजनेतर- .. ..

101-ललित कलाओं की शिक्षा- .. ..

16--सांस्कृतिक दल के गठन हेतु उ0 प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को अनुदान-- 50

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता

कथक केन्द्र लखनऊ के विकास के लिए उ0 प्र0 संगीत नाटक अकादमी को अनुदान

उ0 प्र0 संगीत नाटक अकादमी के अन्तर्गत कथक केन्द्र लखनऊ की स्थापना कथक परम्पराओं को बनाये रखने तथा कथक नृत्य शैली के प्रदर्शनकारी पक्ष को ध्यान में रखते हुए अच्छे कलाकारों को तैयार करने के लिये की गयी है। वर्तमान समय में उ0 प्र0 संगीत नाटक अकादमी को उक्त कथक केन्द्र के विकास के लिये 1,35,000 रु0 का आवर्तक अनुदान दिया जा रहा है। उसकी की गतिविधियों के सुचारु रूप से संचालन के लिये पर्याप्त नहीं है। अतः यह प्रस्तावित है कि उक्त केन्द्र के लिये 1,35,000 रुपये के आवर्तक अनुदान में 65,000 रु0 की वृद्धि कर दी जाय। तदनुसार वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में 65,000 रु0 आवर्तक की व्यवस्था कर ली गयी है।

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन-- (हजार रुपयों में)

2205--कला और संस्कृति-आयोजनेतर--

101 ललित कलाओं की शिक्षा--

05 कथक केन्द्र, लखनऊ के विकास के लिये अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 65

उ0 प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को अनुदान

उ0 प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को शासन द्वारा 8,08,000 रु0 का आवर्तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है, जो इसके महत्वपूर्ण नियमित कार्यक्रमों को भली-भांति संचालित कराने के लिये पर्याप्त नहीं है। अकादमी धनाभाव के कारण अनेक अनुमोदित बचनबद्ध कार्यक्रमों को या तो कार्यान्वित किये जाने में कठिनाई अनुभव करती है अथवा जिस रूप में उन्हें कार्यान्वित करना चाहिये उस रूप में उन्हें कार्यान्वित नहीं कर पाती है। अतः यह प्रस्ताव है कि उ0 प्र0 संगीत नाटक अकादमी को दिये जाने वाले 8,08,000 रुपये के आवर्तक अनुदान में 1,92,000 रु0 की वृद्धि कर दी जाये। तदनुसार 1987-88 के आय-व्ययक में 1,92,000 रुपये आवर्तक की व्यवस्था कर ली गयी है।

(हजार रुपयों में)

2--आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का शीर्षकों के अनुसार विभाजन--

"2205--कला और संस्कृति--आयोजनेतर-

101-ललित कलाओं की शिक्षा-

04--उ0 प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को अनुदान--

14--सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 1,92

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग

वर्ष 1987–88 क आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें (आयोजनेतर)

क्र0 सं0	योजना का नाम	(हजार रुपयों में) 1987–88 में व्यय				लेखा जिसक अन्तर्गत 1987–88 के आय-व्ययक में प्राविधान सम्मिलित किया गया है।	शीर्षक टिप्पणी निर्देश पृष्ठ संख्या
		राजस्व लेखे का व्यय	पूंजी लेखे का व्यय		योग		
			पूंजीगत	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राज्य समाज कल्याण बोर्ड हेतु अतिरिक्त पदों का सृजन।	12	..	..	12	2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	115 न
2	निराश्रितों के कल्याणार्थ नई योजना	5,00,00	..	..	5,00,00	तदैव	115 न
	योग	5,00,12	..	..	5,00,12		

NIEPA DC
D04355